उत्तराखण्ड शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग- 1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)
एवं
(सहकारी समितियां एवं पंचायते)

वर्ष

2011-12

प्रतिवेदकः निदेशक, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

भाग – 1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)

(1)	प्रशासनिक खण्ड		
क्र0सं0	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1 2.2-2.3	1-2
2	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1-3.2	2
3	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1-4.2	2-3
4	प्रभागीय आय-व्ययक	5.1-5.3	3
5	प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1-6.2	4
6	प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1-7.4	4-5
7	प्रभाग की जनशक्ति	8	5
8	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	5
9	सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	6
11	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1-2.2	6-7
12	धर्मादा संदान निधि	11	7
13	लेखाकार परीक्षा का आयोजन	12	7
14	जिला पंचायतें, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	7
15	निष्कर्ष	-	7
(2)	कार्यकारी खण्ड	-	8-34
(3)	परिशिष्ट,क,ख,ग,घ,ड.,च,छ व ज	-	35-50

1- प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के संगठनात्मक ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर लिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विधान उत्तराखण्ड राज्य पर भी इन्हें उपान्तरित किये जाने तक लागू है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा -8(3) (वर्तमान में उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनिय, 2012 जो कि दिनांक 08 जून, 2012 से प्रवृत्त हुआ) के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर आधारित वर्ष 2010-11 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2011-12 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तदधीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथास्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियाँ **''स्थानीय निधि'' (लोकल फण्ड)** के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रुप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रुप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के पैरा 369 ''के'' में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्यकलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारां वर्षान्त में संहत रुप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदानों के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिये वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था। शर्तो एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की स्थिति से प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख किया गया है।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 12 सन् 1984) जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ तथा जो नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भी समान रुप से प्रभावी है, की धारा-4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की लेखा परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा

या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में केसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यत: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष में 2010-11 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 963 थी। उप सम्परीक्षा से सम्बन्धित 947 संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** में दिये गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं शतप्रतिशत लेखा परीक्षा से सम्बन्धित 16 संस्थाओं की सूची **परिशिष्ट ''क'' भाग-2** के रुप में संलग्न है।

3.2 सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट ''ख''** में दी गई है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य : -

4.1 शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। अत: इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-

- 1- सम्परीक्षित स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5- नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।

- 6- महालेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।
- 7- नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 8- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिये उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10- स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11- विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठयॉ आयोजित करना।
- 12- धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 13- प्रभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 14- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 15- सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमों के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 16- उपर्युक्त स्थानीय निकायों/ संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 17- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5- <u>प्रभागीय आय-व्ययक :-</u>

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियॉ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय-व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निधारित दरों पर किया जाता है, जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **परिशिष्ट ''ग''** उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।

6- प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :- वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपये)	आरोपित सम्प० शुल्क (रु०)
1-	2011-12	4353263	1,87,64,474

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

7.1- प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :- उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के शा० सं० 5058/ वि०शा०स० /2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रुप में कार्यरत है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यत: द्विस्तरीय है :-

(1) **मुख्यालय स्तरीय।**

(2) **जिला स्तरीय।**

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट ''घ''** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट ''ड.''** में दी गयी है।

7.2-1- मुख्यालय स्तर :- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है, जो निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड हैं जिन्हें अपने कार्यो के साथ-साथ पदेन रुप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तराखण्ड तथा भारतीय धर्मादा सन्दान के उत्तराखण्ड वृत्त के कार्यो का भी सम्पादन करना पडता है।

7.2 -2 – मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-८ में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी संस्थाओं जैसे :- नगर निगम, वन निगम, मण्डी परिषद, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :- लेखा परीक्षाधीन इकाईयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। विभाग के लेखा परीक्षा कर्मी सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं प्रदेश के 13 जिलों में से अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों मं अभी तक जनपदीय कार्यालय नहीं खोले जा सके हैं। अत: निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 – **राज्य स्तरीय :-** शासनादेश संख्या वि०अनु० -1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंहनगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्रनगर(टिहरी गढवाल) में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

8- **प्रभाग की जनशक्ति :-** वर्ष 2011-12 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1-	समूह ''क''	04	01	25.00
2-	समूह ''ख'' 1. सहायक निदेशक 2. जिला सम्परीक्षा अधिकारी 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	 05 11 01	 05 4+1 01	 100.00 45.45 100.00
3-	**समूह ''ग''** (1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	14	11	78.57
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-१	04	01	25.00
	(3) विरष्ठ लेखा परीक्षक	82	12	14.63
	(4) लेखा परीक्षक	20	0	0
	(5) आशुलिपिक	03	0	0
	(6) प्रशासनिक अधिकारी	07	06	85.71
	(7) मुख्य सहायक	07	05	71.42
	(8) प्रवर सहायक	12	0	0
	(9) कनिष्ठ सहायक	13	03	23.07
	(10) वाहन चालक	03	01	33.33
4-	समूह ''घ''	61	10	16.39
	योग	**247**	**60+1**	24.70

9- **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य :-** वर्ष 2011-12 में 75 प्रतिशत लेखा परीक्षा पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 1002 लेखाओं में से 91 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 911 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी। उक्त के अतिरिक्त शासन के आदेशानुसार नगर पालिका परिषद,हरिद्वार, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण एवं पशुपालन विभाग की सम्परीक्षा सम्पन्न करायी जा रही है।

10.1.1 – सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें :-

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2011-12 तक में सम्रीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रु० **280287519** की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है तथा संस्थावार विवरण कार्यकारी खण्ड में दिया गया है।

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि (रु० में)
1-	व्यपहरण	902600
2-	अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय	62331490
3-	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें	20206524
4-	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	22772453
5-	आर्थिक क्षति	84125752
6-	राजस्व क्षति	41311749
7-	दुर्विनियोग	29930014
8-	अनानुमोदित व्यय	18706937
	योग	**280287519**

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2012 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 1102 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

10.1.2 – विशेष सम्परीक्षाऐं :-

प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जॉच, संस्था, अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2011-12 में राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग जनपद पिथौरागढ. की संपरीक्षा शासन के आदेनानुसार करवायी गयी।

10.2.1 – सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :- वर्ष 2011-12 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :-

	(रुपयों में)
01 अप्रैल, 2011 को प्रारम्भिक शेष	76749238.00
वर्ष में स्थापित मॉग	18764474.00

योग	95513712.00
वर्ष में समाहरण	10760449.00
	---
31 मार्च, 2012 को बकाया	**84753263.00**

10.2.2 - उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरुप वित्तीय वर्ष में एक करोड सात लाख साठ हजार चार सौ

उन्नचास रुपये की वसूली हुई है जिसमे गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम – 1984 की धारा 4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन होना अभी अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11. **धर्मादा संदान निधि -** चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा-3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पत्तियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड को शासनादेश संख्या 163/xxvii(2)/2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण **परिशिष्ट ''छ''** में दिया गया है।

(1) वर्ष 2011-12 में प्रतिमूतियों से कुल प्राप्त ब्याज रू0 **195817** का 98 प्रतिशत रू0 **191901** के भुगतान आदेश सम्बन्धित न्यासों को प्रेषित किये गये तथा 02 प्रतिशत रू0 **3916** राजकोष में जमा किया गया ।

12- **लेखाकार परीक्षा का आयोजन :-** दिसम्बर, 2011 में जिला पंचायत लेखाकार परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 06 परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया तथा 05 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये।

13- **जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण**

वर्ष 2010-11 में प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :-

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
38	359	322	75

14- **निष्कर्ष -**

उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट ''क''** से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2011-12 में 1002 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। जनशक्ति की भारी कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए मात्र 91 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रु० **280287519.00** की गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षति आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(सौजन्या)
निदेशक।

2- कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2011-12)

वर्ष 2011-12 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं। इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रु० में)
1	नगर पालिका परिषदें	62790721
2	नगर पंचायतें	37327705
3	शिक्षण संस्थायें	313890
4	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	6250400
5	विकास प्राधिकरण	57794108
6	विश्वविद्यालय, सम्वर्ती सम्परीक्षा	98793929
7	विश्वविद्यालय	9082911
8	उत्तराचंल चाय विकास बोर्ड	7933855
	योग	**280287519**

टिप्पणी :- विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ''ज''** में दिया गया है।

वर्ष 2011-12 में सम्पन्न सम्परीक्षायें

नगर पालिका परिषदे

1. नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ (वर्ष 2010.11)

(1) आर्थिक क्षति-

1 वार्षिक ठेका न देने से ₹ 36,000/–की हानि– पार्किंग ठेका बोली ₹ 91,000/– तक होने में ठेका न देकर स्वंय कर्मचारियों द्वारा वसूली करने में 91,000 (–) 55,000=36,000 की वार्षिक हानि।

भाग दो (ब)–1(क)

(2) अनियमित भुगतान -

2 व्यय प्रमाणक सं0 162 दिनांक 29.05.2010 ₹ 12,659/– का भुगतान ठेकेदार को किया गया था, परन्तु सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध थे तथ माप पुस्तिका में किये गये एम0बी0 संख्या पर दर्ज न था।

भाग दो (ब)–1घ (3)

3. व्यय प्रामणक संख्या 69 दिनांक 03.05.2010 में ₹ 21,240/– मिट्टी हटाने व झाड़ी काटने आदि का भुगतान ठेकेदार को किया गया था, इसकी माप पुस्तिका नहीं भरी गयी थी, यह आपित्तजनक था।

भाग दो (ब)–1 घ (4)

2. नगर पालिका परिषद, मसूरी, देहरादून (वर्ष 2009–10)

(1) दुविनियोग:-

(i) अस्थाई अग्रिमों को समायोजन न किये जाने से ₹ 1009119.00 के दुरूपयोग की सम्भावना: नगर पालिका के विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ₹ 782750.00 के वर्ष 2008-09 अस्थायी अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में कुल ₹ 100919.00 के असमायोजित अग्रिम चले आ रहे थे। इस प्रकार इन अग्रिमों के दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(क)

(ii) राजकीय अनुदानों की अवशेष धनराशि ₹ 1423132400 का पूर्ण उपभोग न होना :– पालिका को शासन द्वारा अवस्थापना, पर्यटन एवं आपदा मद में कुल ₹ **1423132400** (1.42 करोड) के अनुदान प्राप्त हुये थे जिसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना था। अनुदानों का समय से उपभोग न किये जाने कि स्थिति में शासन द्वारा उपभोग की तिथि में विस्तार कर अनुदानों का उपभोग किया जाना चाहियें था किन्तु पालिका द्वारा कई वर्षों से अप्रयुक्त अनुदानों के अवशेष के उपभोग में समय विस्तार नहीं कराया गया था यह एक गम्भीर अनियमितता थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ड.)

(2) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(i) सार्वजनिक निधि से ₹ 82500.00 का चन्दा दिया जाना अनियमित:– नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक निधि से संस्थाओं को चन्दा एंव आर्थिक सहयोग हेतु कुल ₹ 82500 प्रदान किया गया था, जो

अनियमित था। शा0स0–578/दस–स0नि0मि0–1/99 दि0 16 जून, 1999 द्वारा सार्वजनिक निधि से किसी भी प्रकार का चन्दा एवं आर्थिक सहायता हेतु आहरण किये जाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ख)

(ii) **<u>स्टीमट से अधिक दर पर निविदायें स्वीकृत किये जाने से ₹ 331066.00 का अधिक भुगतान:–</u>**

नगर पालिका द्वारा स्टीमेट से उच्च दर पर निविदायें स्वीकृत किये जाने से ₹ 331066.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(य)

<u>(3) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता: –</u>

<u>संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर ₹ 112170.00 का अनियमित भुगतान</u> :– पालिका द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर असृजित पदों पर कर्मचारी रखे गये थे, जिनके पारिश्रमिक पर कुल ₹ 112170.00 का व्यय किया गया, जो पालिका निधि से किया जा रहा था, जबकि शा0सं0 3462/210/वि0आ0/04/235(सा)/2003 शहरी विकास आवास अनुभाग देहरादून दि0 06 अगस्त, 2004 द्वारा संविदा नियुक्तियों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध था। अत: उक्त सृजित पदों पर संविदा पर नियुक्त किया जाना अनियमित एंव आपत्तिजनक था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(च)

(4) **<u>आर्थिक/राजस्व की क्षति:-</u>**

(i) पालिका में पंचवर्षीय गृह कर निर्धारण 01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2009 के लिए था। पालिका द्वारा वर्ष पालिका में पंचवर्षीय गृह कर निर्धारण 01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2009 के लिए था। पालिका द्वारा वर्ष 2009-10 में 01 अप्रैल, 2005 की दर से गृह कर लिया जा रहा था। अभिलेखानुसार पूर्ववर्ती पंचवर्षीय में निर्धारित दरों से गृह कर एवं समायोजन कर लिये जाने के कारण पालिका को ₹ 3526932.00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ण)

(ii) मंत्री मजदूर संघ द्वारा कार पार्किंग ठेका की मांग की कम स्थापित कर ₹ 223960;00 के आर्थिक क्षति:- ₹ पालिका द्वारा सचिव, मजदूर संघ को दर्पण होटल कार पार्किंग वर्ष 2009-10 की नीलामी ₹ 671880.00 की गई थी। मांग समाहरण पंजी में देख गया कि सचिव, मजदूर संघ द्वारा संदर्भित नीलामी मांग वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 44792.00 अंकित की गई जिससे पालिका को ₹ 223960;00 की आर्थिक की क्षति पहुंचाई गयी। ऐसी स्थिति में मजदूर संघ को नीलामी का ठेका दिया जाना शासनादेश का उल्लंघन था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(त)

(iii) नगरपालिका द्वारा विविध नीलामी ठेकों की राजस्व 31 मार्च, 2010 को बकाया धनराशि ₹ 1319327.00 की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने कारण धनराशि ₹ 1319327.00 की आय की क्षति हुई।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(थ)

3. नगर पालिका,ऋषिकेश देहरादून (वर्ष 2010-11)

(1) दुर्विनयोग:-

(i) राजकीय अनुदानों पर प्राप्त ब्याज की धनराशि शासन को वापस न किया जाना ₹ 994327.00 :– सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि पालिका को शासन द्वारा विभिन्न मदों में राजकीय अनुदान प्राप्त हुये थे। पालिका द्वारा अनुदानों को निजी बैंक खातों में रखा गया था एंव ब्याज प्राप्त किया गया था। उक्त अनुदानों पर प्राप्त ब्याज को शासन को वापस नहीं किया गया था, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमित थी।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(क)

(ii) आर्थिक क्षति :– पालिका द्वारा दिनांक 21.05.98 को प्राप्त राजकीय ऋण ₹ 8279000.00 का वर्तमान में प्रतिदान नहीं किया गया। राजकीय ऋणों का 13 वर्ष बाद भी प्रतिदान न किये जाने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 18% साधारण ब्याज की दर से कुल ₹ 19365840.00 की ऋण पर ब्याज की देयता हो गयी थी।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(ख)

(iii) राजकीय अनुदानों का दुर्विनियोग ₹ 931976 :– नगर पालिका को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु शासन से राजकीय अनुदान प्राप्त हुये थे।उन्हें निर्धारित समय सीमान्तर्गत उपभोग किया जाना था। पालिका के खाते में अवशेष अनुदानों की धनराशियॉ पड़ी थी,अवशेष अनुदानों की धनराशि ₹ 931976.00 के दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(ग)

(2) राजस्व की हानि :–

दुकान किराया समय से प्राप्त न किये जाने से किराया की बकाया में अग्रेतर वृद्धि होना ₹ 221319.00 :– मांग समाहरण पंजी किराया की जाचं से प्रकाश में आया कि किराये की दुकानों से किराया समय से प्राप्त नहीं किया जा रहा था। जिससे पालिका को किराये से होने वाली आय में कमी हो रही थी एवं बकाया किराये ₹ 221319.00 में अत्यधिक अग्रेत्तर वृद्धि हो रही थी।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(झ)

(3) अधिक/अनियमित/अमान्य व्यय:-

शासनादेश के विपरीत सार्वजनिक निधि से बधाई विज्ञापन व्यय के लिए भुगतान ₹ 69000.00 अनियमित :– व्यय प्रमाणक सं0 120 दि0 दिसम्बर, 2010 द्वारा ₹ 5000.00 का भुगतान उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ को उनके वार्षिक सम्मेलन 2010 के अवसर पर प्रकाशधीन स्मारिका के लिए किया गया था। आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा में निम्नांकित विवरणानुसार ₹ 69000.00 के विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में बधाई आदि के लिए प्रकाशित की गई थी। शासनादेश सं0 578 दस-स0वि0नि0/1-1/99 दि0 16 जून ,1999 के अनुसार सार्वजनिक निधि से बधाई आदि के लिए विज्ञापन व्यय पर प्रतिबन्ध था।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(ठ)

(4) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता:–

₹ 1220748.00 पेंशन अनुदान जमा न किया जाना:– सम्परीक्षा में देखा गया कि पालिका द्वारा छठवें वेतनमान के एरियर पर देय पेंशन अंशदान की धनराशि पेंशन निधि बैक खाते में जमा नहीं की गई थी। सम्परीक्षा में गम्भीर अनियमितता थी। छठवें वेतनमान के एरियर ₹ 10172900.00 पर देय 12 प्रतिशत पेंशन अंशदान ₹ 1220748.00 पेंशन निधि में जमा नहीं किया गया था।

0आग-दो(ब)प्रस्तर1(ण)

4. नगर पालिका परिषद, नई टिहरी(वर्ष 2009–10)

(1) दुर्विनियोग/सम्भावित व्यपहरण के प्रकरण :-

(i) सिटी बस/कॉफिन कैरियर (यू0के0 09 1008) का परिचालन प्रारम्भ किये जाने से पूर्व ही वाहन के सभी 07 टायर, जिसका क्रय मूल्य ₹ 69,300.00 था, बिना सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के परीक्षण के बदला गया, जो क्रय धनराशि का सम्भावित व्यपहरण अथवा उक्त सामग्री का दुर्विनियोग था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख)(1))

(ii) वन विभाग की भूमि पर अवैध एंव अस्तित्वहीन निर्माण कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को भुगतान दर्शाये गये ₹ 1,49,210.00 की धनराशि का दुर्विनियोग/व्यपहरण सम्भावित था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क))

(2) अनानुमोदित व्यय:-

(i) शासनादेश संख्या 469/V–श0वि0/166(सा0)/2006, दिनांक 31 मार्च 2006 के द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि 31 मार्च 2006 से मात्र एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया था। अत: उक्त अवधि (31 मार्च 2007) के बाद से गतिमान कार्यो पर सम्परीक्षा अवधि में व्यय ₹ 6,00,895.00 हेतु शासन की अनुमति नही ली गई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख)(1))

(ii) रिवाल्विग फण्ड के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि जिसकी उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या 723/iV–07–261 (श0नि0)/01 टी0सी0–11, दिनांक 18 जुलाई, 2007 के द्वारा दिनांक 31 मार्च, 08 तक बढ़ाया गया था, को गतिमान कार्य पर, उक्त तिथि के बाद बिना शासन से अनुमोदन प्राप्त किये ही ₹ 3,87,462.00 व्यय किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(घ))

(3) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(i) संस्था के वाहनों का मरम्मत कार्य बिना सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, की तकनीकी संस्तुति के कराया गया है। अत: मरम्मत कार्य में व्यय की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 88,791.00 सम्परीक्षा में अनियमित थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख)(3))

(ii) पालिका द्वारा नियुक्त पचपन (55) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक देयता धनराशि ₹ 21,78,000.00 का भुगतान शासनादेश संख्या 798(i)/iv(i)/2008, दिनांक 23 मई, 2008 के आलोक में अनियमित था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(च)(2))

(iii) शासनादेश संख्या 798(i)/iv(i)/ 2008, दिनांक 23 मई 2008 के अनुसार शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना पालिका द्वारा नियुक्त 03 संविदा कर्मचारियों की वार्षिक वेतन भुगतान धनराशि ₹ 1,92,000.00 अनियमित थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(च)(3))

(iv) सेक्टर 5 ए0 में पार्किंग के निकट एप्रोच रोड़ एंव रेलिंग निर्माण कार्य के स्थान पर भ्यूह प्वांइट का निर्माण किया गया। नये कार्य की न तो प्राक्कलन धनराशि का ही आगणन किया गया, न ही टेंडर आमन्त्रित किये गये। अत: नये कार्य पर किया गया समस्त व्यय धनराशि ₹ 1,73,153.00 अनियमित थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(छ)(1))

(v) वार्ड संख्या-1, कोटी कालोनी में विद्या मंदिर की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के स्थान पर भ्यूह प्वांइट का निर्माण किया गया जिसके लिये नये टेंडर आमन्त्रित नही किये गये थे। नये कार्य एंव पुराने कार्य की प्राक्कलित धनराशि एक सामान ₹ 2,77,840.00 थी। अत: वित्तीय मितव्ययता एंव कार्य के उपयोगिता के दृष्टिगत उक्त नये कार्य पर व्यय समस्त धनराशि ₹ 2,83,712.00 अनियमित थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(छ)(2))

(vi) वार्ड संख्या-2, कोटी कालोनी में विद्या मंदिर के निकट सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के स्थान पर पार्किंग का निर्माण किया गया जिसके लिये नये टेंडर आमन्त्रित नही किये गये थे। नये कार्य एंव पुराने कार्य की प्राक्किलित धनराशि एक समान ₹ 2,77,840.00 अनियमित थी। अत: वित्तीय मितव्ययता एंव कार्य के उपयोगिता के दृष्टिगत उक्त नये कार्य पर व्यय समस्त धनराशि ₹ 2,62,550.00 अनियमित थी।

(विवरण, सम्परीक्षा आख्या, भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(छ)(3) में सन्दर्भित)

(4) <u>राजकीय अनुदान एंव ऋणों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें:-</u> ₹ 11,00,000.00

वर्ष 2009–10 में पुनर्वास निदेशक, टिहरी बॉध परियोजना, खण्ड 22 सिंचाई विभाग, नई टिहरी द्वारा ₹ 11,00,000.00 नाली निर्माण/शेड निर्माण हेतु प्रदान किया गया था जिसका प्रयोग पालिका द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु किया गया, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ड़)(2))

(5) <u>विविधि अनियमिततायें</u> :-

(i) म्यूनिसिपल एकाउन्ट कोड के नियम संख्या 89 का उल्लंघन कर नगर पालिका परिषद द्वारा ₹ 3,20,239.00 से/अवैधानिक निधि की स्थापना की गयी थी, जिसकी प्रविष्टी मुख्य कैशबुक में नहीं की गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ज))

5.नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर (वर्ष 2009-10 एंव 2010-11)

(1) <u>दुर्विनियोग</u> :-

वित्तीय वर्ष 2009-10 में दैवीय आपदा निधि से संक्रमित धनराशि से कुमारखेड़ा में क्षतिग्रस्त नालों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशियॉ ₹ 4,95,000.00 तथा ₹ 4,92,000.00 के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा कार्यो के प्राक्कलित से 39.75 प्रतिशत कम पर कार्य पूर्ण किये जाने के कारण अवशेष धनराशियॉ ₹ 2,60,000.00 शासन को वापिस न कर वर्ष 2010-11 में उन्हीं नालों के पुन: निर्माण पर व्यय किये जाने से ₹ 2,60,000.00 का दुर्विनियोग/सम्भावित व्यपहरण किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग)(1))

(2) <u>अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान-</u>

(i) अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यो पर संस्था द्वारा ठेकेदार के बिल से आकस्मिक व्यय धनराशि ₹ 3,63,311.00 की कटौती नहीं किये जाने के कारण ₹ 3,63,311.00 का अधिक/अनियमित व्यय किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग)(2)(i))

(3) <u>आर्थिक क्षति-</u>

(ii) जमानत वापसी के रूप में ठेकेदार को ₹ 46,488.00 का अधिक भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग)(2)(ii))

(iii) वित्तीय वर्ष 2009-10 में दैवीय आपदा निधि के अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदार को कुमारखेड़ा में नाला पुन: निर्माण कार्य में ₹ 54,463.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग)(2)(iii))

(iv) वित्तीय वर्ष 2009-10 दैवीय आपदा निधि के अन्तर्गत कुमारखेड़ा में क्षतिग्रस्त नाला निर्माण कार्य में घटित अत्याधिक विचलन (34 प्रतिशत) के सापेक्ष विचलन प्रपत्र बनाये बिना तथा सक्षम स्तर से विचलन की तकनीकी संस्तुति लिये बिना किया गया भुगतान ₹ 1,16,188.00 अमान्य था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग)(2)(iv))

(v) वास्तु शुल्क के रूप में निर्धारित दर, (निर्माण कार्य लागत का 02 प्रतिशत) से अधिक दर से अधिक भुगतान ₹ 79,537.00 किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग)(2)(vi))

(3) <u>अधिष्ठान एंव वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियिमततायें-</u>

सम्परीक्षा अवधि में संस्था द्वारा कर्मियों को शासनादेश संख्या 38/xxvii(7)/2009 दिनांक 13 जनवरी, 2009 द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर मकान किरया भत्ता के रूप में ₹ 68,700.00 अधिक भुगतान किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-च(i))

(4) <u>आय एंव राजस्व की क्षति-</u>

(i) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों से अर्जित आय को शासन को वापिस किये जाने के प्राविधान के विपरीत संस्था द्वारा उक्त धनराशियों को चालू खाते में जमा रखकर ब्याज के रूप में होने वाली अर्जित आय ₹ 7,71,263.00 की शासकीय क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1ख(2)(i))

(5) <u>अन्य विविध अनियमिततायें-</u>

(i) संस्था की समस्त धनराशियों को अनावश्यक एंव अनुत्तरीत कारणों से बैंक के चालू खाते में रख कर ब्याज के रूप में पालिका को ₹ 5,75,599.00 के आय की क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(i))

6. नगर पालिका परिषद रूद्रपुर (वर्ष 2010-11)

(1) आय/आर्थिक क्षति-

(1) दुकान किराये की बकाया धनराशि का बकाया रहना ₹ 4,28,519.00 की वसूली न करने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-1(ज))

(2) विभिन्न ठेकों की बकाया धनराशि ₹ 28,46,970.00 की वसूली न करने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-1(ब))

(2) राजस्व की क्षति-

(3) निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध न किये जाने से पालिका के स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजकीय राजस्व ₹ 3,48,675.00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो(ब) (प्रस्तर-1(छ))

(3) व्यपहरण-

(4) चैक संख्या-447549 दिनांक- 13-05-10 पर फर्जी तरीके से आहरण कर ₹ 6,84,090.00 का सम्भावित व्यपहरण किया गया था।

भाग-दो(ब)(प्रस्तर-2(क))

(4) अनियमित भुगतान-

(5) अतिकाल भत्ते का पालिका द्वारा अनियमित भुगतान ₹ 4,65,543.00 किया गया था।

भाग-दो(ब) (प्रस्तर-2(ग))

7. नगर पालिका परिषद बाजपुर (वर्ष 2010-11)

(1) आय/आर्थिक क्षति-

(1) दुकानदारों पर बकाया की धनराशि ₹ 68,181.00 की वसूली न करने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-1(ख))

(2) राजस्व की क्षति-

(2) निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पत्रों पर अनुबन्ध न किये जाने से पालिका को स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजकीय राजस्व ₹ 1,47,104.00 की क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-1(घ))

(3) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान-

(3) संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति कर के पालिका परिषद द्वारा वेतन का अनियमित भुगतान ₹ 1,57,898.00 किया गया था।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-1(छ))

(4) बिना पद सृजन के ही 15 कर्मचारियों को नियुक्त कर के पालिका परिषद द्वारा वेतन का अनियमित भुगतान ₹ 14,85,108.00 किया गया था।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-1(ज))

(5) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्युरमेंट) नियमावली 2008 के अनसार विद्युत सामग्री क्रय न करके पालिका परिषद द्वारा ₹ 2,30,075.00 का अनियमित क्रय किया गया था।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-7)

8. नगर पालिका परिषद जसपुर (वर्ष 2009-10 से 2010-11)

(1) राजकीय अनुदान से संबंधित अनियमिततायें-

(1) निर्धारित प्रयोजन पर व्यय न करके अनुदान राशि का दुरूपयोग ₹ 2,59,784.00 किया गया था।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-2)

(2) विविध अनियमिततायें-

(2) ₹ 83,863.00 पेंशन का अंशदान जमा न किया जाना अनियमितता था।

(भाग-दो(ब) (प्रस्तर-6)

(3) राजस्व की क्षति-

(3) आयकर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति ₹ 1,12,729.00 हुई थी।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-3)

9. नगर पालिका परिषद किच्छा (वर्ष 2010-11)

(1) राजस्व/आर्थिक क्षति-

(1) निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति ₹ 3,85,640.00 हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-1(क))

(2) विभिन्न ठेकों की बकाया धनराशि ₹ 1,35,690.00 की वसूली न करने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-1(ख))

(3) मै0ग्लोबल क्रियेशन देहरादून से आयकर की कटौती न किया जाने से ₹ 74,709.00 राजस्व की क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-2(ड़))

(2) राजकीय अनुदान से संबंधित अनियमिततायें-

(4) अनुदान की शर्तों का विचलन करके अनुदान राशि का दुरूपयोग ₹ 2,05,702.00 पालिका द्वारा किया गया था।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-3)

10. नगर पालिका परिषद खटीमा (वर्ष 2009-10 व 2010-11)

आर्थिक क्षति-

(1) पंचवर्षीय गृहकर निर्धारण में वृद्धि न किये जाने के फलस्वरूप पालिका परिषद को ₹ 2,44,590/- की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-1(क))

(2) गृहकर की बकाया धनराशि का ₹ 14,52,586.00 की वसूली न किये जाने से पालिका परिषद को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-1(ग))

(3) ठेके की 31 मार्च, 2011 को बकाया धनराशि ₹ ,33,000.00 की वसूली न किये जाने से पालिका परिषद को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-2(ढ))

(4) दुकान किराये की बकाया धनराशि ₹ 7,89,897.00 की वसूली न किये जाने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)(प्रस्तर-1(ण))

नगर पंचायतें

11. नगर पंचायत धारचूला (वर्ष 2009-10)

अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय -

1. बजट प्राविधान से अधिक व्यय किया जाना विशिष्ट व्यक्तियों के यात्रा भत्ता, जलपान आदि अन्य व्यय देय बजट प्राविधान ₹ 4,84,000/– था, जबकि इसके विरूद्ध व्यय ₹ 7,39,690/– किया गया था।

भाग दो (ब)–1(क)

12.नगर पंचायत द्वाराहाट,अल्मोड़ा (वर्ष 2009-10 से 2010-11)

(1) अनियमित व्यय:-

(1) अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वाराहाट को यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान ₹ 14346.00 पंचायत द्वारा किया गया था।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-2)

(2) सन्त इण्टर प्राइजेज हल्द्वानी को ₹ 1,44,810.00 का अनियमित भुगतान नगर पंचायत द्वारा किया गया था।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-4)

(2) आय/आर्थिक क्षति:-

(3) लाइसेन्स न बनाये जाने से पंचायत को ₹ 31355.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-5)

(4) गृहकर का बकाया ₹ 91423.00 की वसूली न किये जाने से नगर पंचायत को आय की क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-15)

13. नगर पंचायत लण्ढौरा (हरिद्वार) अवधि:- वर्ष 2010–11

(1) अधिष्ठान/वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें:- शासनादेश संख्या-1803 कार्मिक-/2003 दिनांक 06.02.2003 द्वारा संविदा/दैनिक वेतन पर नियुक्तियां पूर्णत: प्रतिबन्धित होने के उपरान्त भी स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कर्मचारी कार्यरत रहते हुये संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर आलोच्य सम्परीक्षा अवधि में कुल रूपये 13,41,144.00 का व्यय किया गया था।

(भाग–दो(ब) का प्रस्तर-1(2))

(2)आय/राजस्व/आर्थिक क्षति:-

(i) ठेका तहबाजारी में आयकर की वसूली न किये जाने से राजकीय राजस्व ₹ 9620.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब) का प्रस्तर-1(3))

(ii) वर्ष 2009-10 में ठेका तहबाजारी का अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्र पर न किये जाने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजकीय राजस्व रूपये 48,100.00 की क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब) प्रस्तर-1(4))

(3) विविध अनियमिततायें:- शासनादेश सं0 16/सी0एम0/नौ-9-97-23 जनवरी 97 दिनांक 16.12.97 द्वारा विभिन्न व्यवसायों हेतु लाइसेंस शुल्क लागू करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु नगर पंचायत द्वारा लाइसेंस शुल्क लागू करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(5))

14. नगर पंचायत लक्सर, हरिद्वार, (वर्ष 2010–11)

(1) अनानुमोदित व्यय:- कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1803/कार्मिक-02/2002 दिनांक 06.02.2003 के प्राविधानों के विरूद्ध संविदा एंव दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों पर आलोच्य-सम्परीक्षा अवधि में 6,63,600.00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

(भाग–दो(ब)-1(2)(ii))

(2) आर्थिक/राजस्व की क्षति:-

(1) गृहकर उपविधियों के प्राविधानों के विपरीत 15 सितम्बर के उपरान्त गृहकर जमा कराये जाने पर 20 प्रतिशत की दर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप ₹ 1,71,305.25 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)-1(5))

(2) ठेका तहबाजारी एंव ठेका पार्किंग शुल्क का अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्र पर न किये जाने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजकीय राजस्व ₹ 46,700.00 की क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)-1(3))

15. नगर पंचायत कीर्तिनगर (वर्ष 2009-10 एंव 2010-11)

(1) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :–

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत दो मंजिला पार्किंग निर्माण कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा 88.57 लाख की स्वीकृत के सापेक्ष ₹ 86,13,815.00 के व्यय के पश्चात भी कार्य मात्रा 20 से 30 प्रतिशत हीं पूर्ण किया गया था। उक्त कार्य में गम्भीर विचलनों के सापेक्ष न तो विचलन प्रपत्र ही बनाया गया था न ही सक्षम स्तर से उनकी स्वीकृति ही ली गई थी। अत: उक्त स्वीकृति के अभाव में किया गया भुगतान ₹ 51,38,993.00 अमान्य था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(3)(i))

(2) राजकीय अनुदान एंव ऋणों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें :–

नगर पंचायत को विभिन्न पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त राजकीय अनुदानों एंव ऋणों की अप्रयुक्त अन्तिम अवशेष धनराशि क्रमश: ₹ 9,07,304.00 एवं ₹ 8,86,216.00 की अवस्थिति/जमा का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध नही था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग))

(3) राजस्व की क्षति :–

निर्माण कार्य सम्बन्धी बिल विपत्रों से भुगतान के समय नियमानुसार टी0डी0एस0 (आयकर),मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) एंव अवशेष जमानत (8%) धनराशियों क्रमश: ₹ 65,480.60, ₹ 1,16,281.96 एवं ₹ 8,03,720.00 की कटौती नही की गई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(1))

16. नगर पंचायत देवप्रयाग (वर्ष 2010-11)

(1) <u>अधिष्ठान एंव वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें-</u>

01 अप्रैल, 2010 से निकाय कर्मियों को छठें वेतनमान अनुसार पुनरीक्षित वेतन निर्धारित कर उन्हें देय वेतन ₹ 17,613.00 का अधिक वेतन भुगतान किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(1))

(2) <u>आय एंव राजस्व की क्षति :-</u>

दुकान किराया मांग एंव समाहरण पंजिका में गतवर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 1,38,343.00 के स्थान पर ₹ 50,346.00 को अग्रेनीत किया गया था। अतः संस्था को अन्तर धनराशि ₹ 87,997.00 की क्षति पहुॅचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ग)(3))

17. नगर पंचायत बड़कोट (वर्ष 2009-10 एंव 2010-11)

(1) <u>अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान-</u>

1 शासनादेश संख्या 798(i)/iv(i)/2008 दिनांक 23 मई 2008 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत संस्था द्वारा दैनिक वेतनभोगियों एंव संविदा कर्मचारियों को राज्य वित्त आयोग द्वारा संक्रमित धनराशि से वित्तीय वर्ष 2009-10 में ₹ 98,080.00 एंव वर्ष 2010-11 ₹ 9,01,450.00 का दैनिक वेतन भुगतान किया गया था ।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(1))

2. वार्ड संख्या-4 में राणा लॉज के सामने टैक्सी पार्किंग निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत कार्यलागत मे शासनादेश संख्या 232/V/2005–44 पर्य0/2005 दिनांक 28 मार्च 2005 में दिये गये निर्देशों के विपरीत अवैध पुनरीक्षण करने तथा अनानुमोदित अत्यधिक विचलन (34 प्रतिशत) के कारण व्यय धनराशि ₹ 4,21,904.00 अनियमित थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख)(1))

18. नगर पंचायत मुनि की रेती (वर्ष 2009-10 एंव 2010-11)

(1) <u>अधिष्ठान एंव वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें-</u>

1. संस्था के कर्मचारियों को छठे वेतनमान का त्रुटिपूर्ण निर्धारण कर सम्परीक्षा अवधि में ₹ 75,000.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख)(1))

(2) <u>दुर्विनयोग:-</u>

2. सम्परीक्षा अवधि में नगरपंचायत के विभिन्न कर्मचारियों को प्रदत्त अस्थायी अग्रिम ₹ 3,43,837.00 स्थापित नियमों के विपरीत वर्षान्त तक का समायोजन नहीं किया गया था। इस प्रकार इन अग्रिमों के दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख)(ii))

(3) आय/राजस्व/आर्थिक क्षति -

1. पार्किंग ठेकेदार से वसूली हेतु अवशेष अनुबन्धित धनराशि (₹ 18,26,352.00) तथा देय विलम्ब शुल्क (₹ 1,28,639) की कुल धनराशि ₹ 19,54,991.00 का सम्बन्धित से वसूली नही कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(1))

2. वित्तीय वर्ष 2009-10 में तहबाजारी ठेकेदार से वसूली हेतु अवशेष अनुबन्धित धनराशि ₹ 65,686.00 की सम्बन्धित से वसूली तथा अनुबन्ध में विलम्ब से जमा धनराशि पर दण्ड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(ii))

3. वित्तीय वर्ष 2010-11 में तहबाजारी ठेकेदार से प्राप्त किये गये ठेके की किस्तों पर विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं कर संस्था को ₹ 13,941.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(iii))

4. ठेका अनुबन्धों में निर्धारित स्टाम्प शुल्क नही लिये जाने के कारण ₹ 7,84,225.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(vi))

5. निर्माण कार्यो में ठेकदारों से मूल्य सम्वर्द्धन कर (वैट) हेतु निर्धारित 04 प्रतिशत से कम 01 प्रतिशत की दर से कर की वसूली किये जाने के कारण ₹ 2,23,789.00 की राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ड़)(1))

6. दुकानों के आवंटन पर अवशेष प्रीमियम एंव ब्याज की धनराशि क्रमश: ₹ 50,000.00 तथा ₹ 3,451.00 की वसूली नहीं कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(च)(1))

(4) आय-व्ययक,वित्तीय स्थिति,विनियोजन से सम्बन्धित अनियमिततायें-

वित्तीय वर्ष 2009-10 एंव 2010-11 में कैशबुक एंव पासबुक के अन्तिम अवशेष में क्रमश: ₹ 36,11,597.00 एंव ₹ 17,78,168.00 के अत्यधिक अन्तर की स्थिति थी, जिसका समायोजन नहीं किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में संस्था की गम्भीर आर्थिक क्षति सम्भावित थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-2(2))

(5) राजकीय अनुदान एंव ऋणों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें-

संस्था को वर्ष 1998-98 एंव 2002-03 में शासन से विभिन्न प्रयोजनों हेतु रिवाल्विंग फण्ड अन्तर्गत क्रमश: ₹ 11,79,000.00 एंव ₹ 7,06,147.00 प्राप्त हुए थे, जिसक उपयोग नही किया गया था और न ही वापस लौटाया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(च))

(6) विविधि अनियमिततायें-

संस्था के अधिशासी अधिकारी एंव अवर अभियन्ता का दायित्व निर्वहन एक ही व्यक्ति श्री आनन्द सिंह मिश्रवाण, पदनाम-अवर अभियन्ता द्वारा किया जा रहा था। संस्था में लेखा सम्बन्धी कार्यो का पर्यवेक्षण

भी अवर अभियन्ता द्वारा किया गया था जो गम्भीर विसंगति होने के साथ ही संस्था के आन्तरिक नियन्त्रण को अस्तित्वहीन बनाया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(च))

19.नगर पंचायत गंगोत्री (वर्ष 2009-10 एंव 2010-11)

(1) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान

(i) निर्माण कार्यो में अत्यधिक विलम्ब होने पर ठेकेदारों से अनुबन्ध अनुसार देय विलम्ब शुल्क धनराशि की वसूली नहीं कर नगरपंचायत को ₹ 3,85,655.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(1))

(ii) सांसद निधि अन्तर्गत निर्माण कार्यो में आकस्मिक व्यय की धनराशि को ठेकेदारों को भुगतान कर ₹ 75,068.00 का अधिक/अमान्य भुगतान किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(2))

(iii) सांसद निधि अन्तर्गत गंगा दर्शन घाट पर आर0सी0सी0 छत के निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत अग्रिम के रूप में ₹ 4,23,000.00 का अवैध भुगतान किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(क)(6))

20. नगर पंचायत कालाढुगी (वर्ष 2008-09 से 2009-10)

(i) मॉग एंव समाहरण पंजी के अनुसार 31 मार्च, 10 को गृहकर ₹ 196521.00 की वसूली शेष रहने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख))

(ii) ठेका तहबाजारी की बकाया धनराशि वसूल न किये जाने से ₹ 1,22,534.00 आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(घ))

(iii) ठेका पशु बाजार की बकाया धनराशि वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति ₹ 30,041.00 हुई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ड़))

(iv) ठेका पार्किग की बकाया धनराशि वसूल न किये जाने ₹ 162251 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(छ))

(v) मॉग एवं समाहरण पंजी के अनुसार 31 मार्च, 2010 को दुकान किराया की अवशेष धनराशि वसूल न किये जाने से ₹ 33268/– की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ज))

21.नगर पंचायत, लालकुआ (वर्ष 2009-10 व 2010-11)

(1) अधिक/अनियमित भुगतान-

(i) विज्ञापन हेतु दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला को नगर पंचायत द्वारा ₹ 12360.00 का भुगतान किया गया था बिल की जॉच में आया कि बिल वर्ष से पूर्व वर्ष का था। नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य/गणमान्य व्यक्तियों के रंगीन चित्र प्रकाशित कराकर शुभ कामनाये दी गयी थी। पंचायत निधि से इस प्रकार किया गया भुगतान अनियमित था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ख))

(ii) राजकीय अनुदान से सम्बन्धित अनियमितता- 31 मार्च, 2011 को अवस्थापना निधि में कुल ₹ 3052033 अवशेष था। जिसे समर्पित नहीं किया गया था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(घ))

(2) आय/आर्थिक क्षति-

(iii) 2009–10 व 2010–11 में नवीन कर पंचवर्षीय कर निर्धारण कर 31 मार्च, 2011 को गृहकर की अवशेष धनराशि वसूल न किये जाने से ₹ 493354/– की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर-1(ड़))

कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

22. कृषि उत्पादन मण्डी, विकासनगर, देहरादून (वर्ष 2010-11)

राजस्व/आर्थिक क्षति :–

(i) महाराजा स्पाइस आयल एण्ड फूड प्रोडेक्ट पर मण्डी शुल्क एंव विकास सैस की वूसली न होने के कारण ₹ 138870.00 की राजकीय राजस्व की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(छ)

(ii) 31 मार्च, 2011 को समिति के विभिन्न परिसम्पित्तयों में देय किराया एवं मण्डी शुल्क ₹ 312514.00 बकाया रहने के कारण समिति को आर्थिक हानि हुई थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ड.)

23. कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ऋषिकेश, देहरादून (वर्ष 2010-11)

(1) राजस्व/आर्थिक क्षति :–

दुकान किराया अनुबन्ध के अनुसार वसूल न किए जाने से ₹ 3513188.00 की आर्थिक हानि:– मण्डी सचिव द्वारा विविध श्रेणी की दुकानों का आवंटन किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार प्रत्येक दुकान की किराया अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने पर वर्तमान किराये में 15% की वृद्धि करके किरयोदारों से किराया वसूल किया जाना अपेक्षित था। समिति द्वारा अनुबन्ध के अनुसार बढी हुई दर से किरायें का मांग पत्र दुकानदारों को जारी नहीं किया गया था। सचिव द्वारा व्यापारियों से दुकान किराया, आवंटन तिथि पर देय किराया की वसूली की जा रहीं है। उपरोक्त दुकानें वर्ष 1996 में आवंटित की गई थी, किन्तु इन पर उपरोक्त प्रभार की वृद्धि तद्नुसार नहीं की गयी है। अनुबन्ध की शर्तों के विरूद्ध पुरानी दरों (आवंटन तिथि पर देय किराया) से किरया वसूली से समिति को ₹ 3513188 की भारी आर्थिक हानि हुई थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ख)

24. कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रामनगर (वर्ष 2008-09 से 2010-11)

आर्थिक/राजस्व की क्षति-

(i) मण्डी शुल्क ₹ 16,02,094.00 की धनराशि स्टार पेपर मिल पर अवशेष थी तथा स्थगन आदेश के तहत वसूल नही हो पा रही थी।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर1(क))

(ii) समिति के कृषक विश्राम गृह उपजिलाधिकारी, रामनगर के कार्यालय हेतु किराये पर दिया गया था किराये रजिस्टर की जॉच से प्रकाश में आया कि 31 मार्च, 2011 तक कुल ₹ 6,83,734–05 किराया वसूल किया जाना अवशेष था। किराये की वसूली न किया जाना समिति के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

(भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ख))

विकास प्राधिकरण

25. हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार, (वर्ष 2009-10 से 2010-11)

(1) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/परिहार्य व्यय:-

(i) श्री रत्नेश कुमार, वित्त अधिकारी को उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना गहरवार, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पद पर रहते हुए सरकारी आवास उपलब्ध होने पर भी माह सितम्बर, 2009 से जुलाई, 2010 तक रूपय 59,400.00 गृह किराये भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था।

(भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(4))

(ii) आवासीय योजनाओं में आबन्टन निरस्तीकरण पर आबन्टन नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध रूपये 27,072.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(6))

(iii) अवास्तविक तिथि दिनांक 31.09.2012 (माह सितम्बर में 30 दिन होते है) को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने (appearsnce before court) हेतु श्री शान्ति भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता को रूपये 11,00,000.00 का भुगतान किया गया था।

(भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(8))

(iv) **अमान्य भुगतान 37,630.00**:– प्राधिकरण नियमों, उपनियमों में व्यवस्था न होते हुए प्राधिकरण अधिष्ठान से इतर व्यक्तियों द्वारा किये गये व्ययों हेतु रूपये 37,630.00 का अमान्य भुगतान किया गया था।

(भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(18))

(2) अधिष्ठान एंव वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें:-

(i) **त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 34,946.00**:– दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेमनमानों में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री गोकुल चन्द जोशी, अवर अभियन्ता को रूपये 34,946.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(27))

(ii) **विनियमितीकरण से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान** 5,65,423.00 :– श्री आनन्द राम आर्या, अवर अभियन्ता को दिनांक 22.12.2006 को अवर अभियन्ता पद पर नियमित किया गया था। अत: उक्त तिथि से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान देय नहीं था, परन्तु श्री आर्य को दिनांक 01.03.2002 से प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप श्री आर्या को रूपये 5,65,423.00 का अधिक भुगतान हुआ।

(भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(28))

(iii) **विनियमितीकरण के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट:-** तदर्थ रूप से नियुक्त श्री बलराम सिंह-सर्वेयर, श्री शिशुपाल सिंह-सर्वेपर एवं श्री किशन स्वरूप सिंह, चौकीदार को कब और कैसे नियमित किया गया ? स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। विनियमितीकरण आदेशों के बिना ही सेवा पुस्तिकाओं में 'तदर्थ' शब्द को काट कर 'अस्थाई' अंकित किया जाना गम्भीर अनियमित थी।

(भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(29))

(3) आय/राजस्व/आर्थिक की क्षति:-

(1) मानचित्र पत्रावली संख्या मान0/हरि0/एस0डब्लू0-40/2010-11 में सब डिविजन शुल्क की गणना कम किये जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण के रूपये 3,59,418.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)-आपत्ति संख्या 1(1))

(2) आवास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के ज्ञाप संख्या 152/9-आ0-1-1998 दिनांक 15 जनवरी, 1998 के प्रावधानानुसार बेचे जाने वाले भूखण्डो के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिभार वसूल न किए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को रूपये 1,57,34,780.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)आपत्ति संख्या-1(3))

(3) मानचित्र पत्रावली संख्या मान0/हरि0/एस0डब्लू0-40/2010-11 में कवर्ड एरिया कम आगणित किये जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को ₹ 48,895.00 की आर्थिक क्षति हुई थी ।

(भाग–दो(ब)-आपत्ति संख्या 1(7))

(4) पत्रावली संख्या मान0/ले0आउट0/85/03-04 में बन्धक अनुबन्ध पत्रों में कम मूल्य के स्टाम्प प्रयुक्त किए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को रूपये 1,86,010.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)आपत्ति संख्या-1(9))

(5) 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डो पर आवासीय भवन मानचित्र आवेदन शुल्क निर्धारित दर रूपये 2.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से न लिए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को रूपये 12,199.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)आपत्ति संख्या-1(12))

(6) रोड़ वाइडनिंग क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्रफल पर सबडिविजन शुल्क लिया गया था, जिसके फलस्वरूप उप सम्परीक्षा माहों में प्राधिकरण को ₹ 68,675.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग–दो(ब)आपत्ति संख्या-1(17))

(4) अधिक/अनियमित व्यय:-

(1) प्राधिकरण द्वारा विकसित हरिलोक आवसीय कालोनी के अनुरक्षण पर प्राप्त आय के सापेक्ष ₹ 21,40,823.00 अधिक व्यय किया गया था जबकि प्राधिकरण के उद्देश्यों/कर्त्तव्यों में कालोनी का अनुरक्षण सम्मिलित नहीं था।

(भाग–दो(ब)-आपत्ति संख्या 1(10))

(2) मेलाधिकारी, कुम्भमेला 2010 द्वारा प्राधिकरण उपाध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार का दुरूपयोग करते हुए विभिन्न तिथियों मे मेला प्रशासन को रूपये 40 लाख ऋण/अग्रिम दिया गया जिसमें से सम्परीक्षा तिथि तक रूपये 20 लाख वापस प्राप्त होने हेतु शेष था। इसके अतिरिक्त मेलाधिकारी के वेतन अग्रिम के रूप में भी ₹ 1,90,000.00 दिया गया, यद्यपि 1,90,000.00 वापस जमा करा दिया गया था, परन्तु यह प्राधिकरण नियमों, उपनियमों के अनुकूल नहीं था।

(भाग–दो(ब)आपत्ति संख्या-1(13))

(5) आर्थिक क्षति:- नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 39(1) के अधीन वसूले गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का आनुपातिक अंश विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया गया जबकि नगर पालिका हरिद्वार को, माह जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 की अवधि का अपना अंश ₹ 1,76,12558.00 प्राप्त हो गया था।

(भाग-दो(ब)आपत्ति संख्या-1(22))

26. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून (वर्ष 2008-09)

(1) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/अपरिहार्य व्यय:-

(i) अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भाँति वेतन वृद्धि दिये जाने से ₹ 4788717.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(क)

(ii) प्राधिकरण विकास कार्य के अतिरिक्त शरदोत्सव कार्यक्रम जो कि नगर पालिका, मसूरी द्वारा किया जाता है, पर किया गया ₹ 1,50,000.00 का व्यय अनियमित व्यय था।

भाग-दो(ब)प्रस्तर3(घ)

(iii) प्राधिकरण के निम्न कर्मचारियों को देर रात कार्य करने हेतु प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान किया गया था। शासनादेश शा0स0-121/XXVII(3)/2005 दि0 28 मार्च, 2005 के अुनसार मानदेय अधिकतम ₹ 750 प्रति व्यक्ति देय था। इस प्रकार कुल 13 व्यक्तियों हेतु 750X13=9750 ₹ देय था। इस प्रकार 62500-9750 कुल 52750.00 ₹ का अनियमित भुगतान हुआ था। इसकी वसूली अपेक्षित थी।

भाग-दो(ब)प्रस्तर3(ग)

27. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून (वर्ष 2009-10)

(1) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(i) प्राधिकरण द्वारा आई0एस0बी0टी0 ए0डी0बी0टी0 स्थित कार्यालय के निर्माण के लिए मै0 यस कन्सट्रक्शन कम्पनी को उनके बिलों के बावत ₹ 486010.00 का भुगतान किया गया था। जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय एक के प्रस्तर 10 का स्पष्ट उल्लंघन था।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(ख)

(i) सचिवालय परिसर कार्यालय में विविध व्ययों के लिए प्राधिकरण निधि से ₹ 74148.00 का एम0डी0डी0ए0 द्वारा भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(छ)

(2) आर्थिक क्षति :-

पार्किंग ठेकों में नियमों के विपरित कार्यवाही के कारण ₹ 735142.00 की आर्थिक क्षति की संभावना थी।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(म)

विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

28. एच0एन0बी0गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल (वर्ष 2007-08)

(1) अनानुमोदित व्यय:-

(1) विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों एंव कर्मचारियों को नैत्यिक प्रकृति के कार्यों के निर्वहन हेतु मानदेय के रूप में ₹ 25,72,066/– का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-10(1)

(2) विश्वद्यालय द्वारा एम0फिल0 पाठ्यक्रम से फैकल्टी (इन्टरनल) विभागाध्यक्ष एंव कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹ 50,000/–का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग-दो(ब)का प्रस्तर-10(2)

(3) विश्वविद्यालय द्वारा दैनिक वेतन/संहत वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के रूप में ₹ 41,74,466/– का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-10(2)

(2) अधिक/अनियमित/अमान्य/परिहार्य व्यय:-

(3) प्रयोगात्मक मुख्य परीक्षा वर्ष 2007 एवं अनुचित साधन नियमावली के अनुसार परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यालय आकस्मिक व्यय में ₹ 4/– प्रति पंजीकृत छात्र की दर से भुगतान अनुमन्य था परन्तु निर्धारित दर के अनुसार व्यय न किये जाने के कारण ₹ 1,65,793/– का अधिक भुगतान हुआ किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(ख)(19)

(4) विश्वद्यालय द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र संरचना हेतु स्नातक कक्षाओं हेतु ₹ 300/– तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ₹ 500/– प्रति प्रश्न पत्र के स्थान पर क्रमश: ₹ 500 एंव 1000/– के आधार पर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1,64,400/– का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग-दो(ब)का प्रस्तर-11(ख)(23)

(5) व्यक्तिगत आवेदन पत्रांक के विक्रय हेतु पारिश्रामिक का प्राविधान न होने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा अपने आदेश संख्या प्रशासन/02/3915 दिनांक 08.11.2002 द्वारा ₹ 5/– प्रति आवेदन पत्र की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने फलस्वरूप पारिश्रमिक की धनराशि ₹ 2,82,945/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(ग)(7)

(6) वार्षिक परीक्षाओं के प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु मैकेनिक,इलैक्ट्रोनिक,गैसमैन,ग्लास ब्लोवर, एनीमल केचर, माली एंव स्वीपरों हेतु पारिश्रमिक की सुविधा अनुमन्य ने होने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय के आदेश संख्या शून्य दिनांक 09.03.2008 द्वारा प्रयोगशाला से जुडे कर्मियों को ₹ 40/– प्रतिपाली की दर से भुगतान करने फलस्वरूप ₹ 83,755/– का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(ग)(8)

(7) किराये पर ली गयी टैक्सी द्वारा सम्पादित की गयी यात्राओं हेतु रोड माइलेज के स्थान पर पूर्ण टैक्सी का किराया का भुगतान किया जाने के फलस्वरूप रू0 97,917/– का अनियमित भुगतान हुआ।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(ग)(12)

(3) <u>अधिष्ठान एंव वेतन निर्धारण सम्बन्धित अनियमिततायें</u>:-

(1) अंशकालिक/आमन्त्रित शिक्षकों को वादन की अपेक्षा कुल उपस्थिति तिथियों के आधार पर भुगतान करने के फलस्वरूप वेतन के रूप में ₹ 55,527/– का अधिक भुगतान हुआ।

सं0आ0भाग-दो(ब) का प्रस्तर-12(ग)(1) (2)(3)(4)

(2) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर संचालित करने हेतु कम्प्यूटर भत्ता एंव द्विभाषीय टंकण भत्ता का भुगतान किया जा रहा था। जबकि उक्त भत्ते रज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को ही देय था। इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि ₹ 1,02,300/– का अनियमित भुगतान किया गया।

सं0आ0भाग-दो(ब) का प्रस्तर-12(ड)

(4) <u>आय/राजस्व की क्षति</u>:-

(1) प्राविधानों के अनुसार स्व वित्त पोषित पाठयक्रमों को प्राप्त आय के 40 प्रतिशत की धनराशि विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में स्थानान्तरित की जानी चाहिये थी परन्तु वर्ष 2007-08 में निर्धारित प्रतिशत से कम धनराशि मुख्य खाते को हस्तानान्तरित किये जाने ₹ 89,99,472/– की, राजस्व की क्षति हुई।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-13(1)

(5) <u>विविध अनियमिततायें</u>:-

(2) एम0बी0ए0 व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना मै0 परफेक्ट कम्प्यूटर सर्विस श्रीनगर गढ़वाल से फोटो कॉपियर क्रय हेतु ₹ 2,81,632/– का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-14(छ)

29. एच0एन0बी0गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल (सम्परीक्षा अवधि 2008-09)

(1) <u>अनानुमोदित व्यय</u>:-

(1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एंव कर्मचारियों को नैत्यक प्रकृति के कार्यों के निर्वहन हेतु मुख्य खाते से मानदेय/पारिश्रमिक के रूप में ₹ 20,59,437/– का अनानुमोदित व्यय किया गया।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-10(1)

(2) विश्वद्यालय द्वारा प्राविधानों के विपरीत दैनिक वेतन/संहत वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर ₹ 32,49,368/– का अनानुमोदित व्यय किया गया।

भाग-दो(ब)का प्रस्तर-10(2)

<u>(2) अधिक/अनियमित/अमान्य/परिहार्य व्यय</u>:-

(2) सूचना का अधिकार अधिनिम 2005 के तहत मैनुअलों की 500 प्रतियों के मुद्रण हेतु मै0 प्रिन्ट मीडिया, श्रीनगर गढ़वाल को ₹ 93,174/– का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-10(क)(9)

(3) विश्वद्यालय द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र संरचना हेतु स्नातक कक्षाओं हेतु ₹ 300/– तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ₹ 500/– प्रति प्रश्न पत्र दर के स्थान पर क्रमश: ₹ 500/- एंव 1000/– के आधार पर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ₹ 3,03,700/– पारिश्रमिक का अधिक भुगतान किया गया।

भाग-दो(ब)का प्रस्तर-11(क)(12)

(4) विश्वविद्यालय द्वारा व्यवसायिक पाठ्क्रम के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ₹ 8/– एवं ₹ 10/– के स्थान पर ₹ 12/– एवं ₹ 15/– प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से भुगतान किये जाने फलस्वरूप ₹ 57,152/– का पारिश्रमिक का अधिक भुगतान किया गया।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(क)(13)

(5) विश्वविद्यालय द्वारा प्राविधानों के विरूद्ध स्ववित्त पोषित पाठयक्रम बायोटैक्नोलाजी खाते से उपकरणों के क्रय हेतु रू0 1,28,859/– का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(ख)(10)

(6) विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य खाते से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत दूरभाष एवं मोंबाइल बिलों पर रू0 68,387/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(ख)(11)

<u>3. अधिष्ठान एंव वेतन निर्धारण सम्बन्धित अनियमिततायें:-</u>

(1) अंशकालिक/आमन्त्रित शिक्षकों को वादन की अपेक्षा कुल उपस्थिति तिथियों के आधार पर करने के फलस्वरूप वेतन के रूप में ₹ 12,99,787/– का अधिक भुगतान था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-11(ग)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

(4) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर संचालित करने हेतु कम्प्यूटर भत्ता ₹ 200/– एंव द्विभाषीय टंकण भत्ता ₹ 75/– प्रति माह की दर से भुगतान किया जा रहा था। जबकि उक्त भत्ते रज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को ही देय थे। अतः उक्त भत्ते के रूप में ₹ 1,05,650/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-12(ञ)

<u>4. आय/राजस्व की क्षति:-</u>

(1) प्राविधानों के अनुसार स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों को प्राप्त आय के 40 प्रतिशत की धनराशि विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में हस्तानान्तरित की जानी चाहिये थी परन्तु आलोच्य अवधि में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम धनराशि मुख्य खाते को हस्तानान्तरित किये जाने से विश्वविद्यालय को ₹ 1,09,57,933/– की कम आय प्राप्त हुई थी।

भाग-दो(ब) का प्रस्तर-13(क)

30. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून (वर्ष 2009-10)

(1) राजस्व की क्षति :-

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 (कार्यदायी संस्था) इकाई कोई देहरादून द्वारा श्रमिकों के पंजीयन एंव निर्माण लागत पर दये सेस ₹ 19.5 लाख जमा न किया जाना:- तकनीकी_वि0वि0 द्वारा उत्तरप्रदेश राजकयी निमार्ण निगम को 22 करोड 20 लाख 52000.00 के सापेक्ष 195000000.00 का भुगतान तकनीकी वि0वि0 के निर्माण कार्य हेतु दिया गया था, कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून इकाई द्वारा सम्परीक्षा तिथि तक सेस को जमा नहीं किया गया था, लेबर सेस के अधिनियम के अनुसार किसी भी नये निर्माण कार्य जिसकी लागत 10 लाख रूपये से अधिक होगी, उस पर 1 प्रतिशत की दर से Project Cost पर लेबर सेस देय होगा। उपरोक्त सेस जमा न किया जाना अन्यन्त गम्भीर अनियमितता थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ड.)

(2) **अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता:-**

मानदेय ₹ 1510000.00 का अनियमित भुगतान:- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 के सहायक नियम-31 के अनुसार विभागाध्यक्ष को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष कार्य सम्पादन में योगदान पर ₹ 750.00 तक का अनावर्तक मानदेय प्रदान करने का प्रावधान है। यू0टी0यू0 में सृजित पद के सापेक्ष तैनात कर्मचारियों को कर्मचारियों को एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विशेष अवसर पर ₹ 5000.00 मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था।यह उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग सं0 –211/xxvii(7)/2006 देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2006 के विरूद्ध था। इस रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11 में कर्मचारियों को ₹ 315000.00 एंव अधिकारियों को ₹ 1195000.00 (कुल ₹ 1510000.00) का मानदेय वितरित किया गया था। यह शासनादेश को स्प्ष्ट उल्लंघन था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ब)

(3)अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(अधिप्राप्ति सम्बन्धी अनियमिततायें)

(i) **₹ 690830 की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाया नहीं जान:-** मै0 सरस्वती प्रेस देहरादून को उनके बिल (सामग्री 97300,40 Page Theory examination Answer copy) के लिए ₹ 690830.00 का भुगताना किया गया था।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 12 के अनुसार ₹ 15 लाख सीमा तक की आपूर्ति के लिए सीमित निविदा पृच्छा प्रक्रिया अपनाया जाना आपेक्षित था।

विश्वविद्यलय द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये मै0 सरस्वती प्रेस देहरादून से ₹ 690830.00 की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गई, सम्परीक्षा में यह अनियमित था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ध)

(ii) **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 विरूद्ध ₹ 8775000 के उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति अनियमित:-** विश्वविद्यालय की आपूर्ति पत्रावली में डॉ0 मृत्युंजय मिश्रा रजिस्ट्रार/परीक्षा नियन्त्रक का मै0

शिवा इण्टरनेशनल के नाम एक पत्र दिनांक 13.12. 2008 संलग्न था, जिसमें निम्नांकित विवरणानुसार ₹ 8775000.00 के उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की आदेश दिया गया था।

Theory Answer Copy	7.10	500000	2550000
Practical Answer Copy	1.70	500000	850000
O.R.M. Answer Copy	2.25	500000	1125000
O.R.M. Exam From	3.65	500000	1625000
O.R.M. Carry Over Form	2.25	500000	1125000
			8775000

शिवा इण्टरनेशलन के नाम 2008-09 की सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका आपूर्ति हेतु निविदा स्वीकृत नहीं हुई थी।

तत्कालीन रजिस्ट्रार/परीक्षा नियंत्रक डा0 मृत्युजय मिश्रा द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लघंन करके विधि विरूद्ध मै0 शिवा इण्टरनेशनल को आपूर्ति हेतु पत्र दिया जाना तथा स्टोर कीपर द्वारा पत्र अंकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रविष्टि स्टाक पंजिका में किया जाना अत्यन्त गम्भीर अनियमितता थी।

सम्परीक्षा दल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रक्रियाओं की जांच करने का प्रयास किया गया किन्तु स्टोर कीपर द्वारा इससे सम्बन्धित अन्य रिकार्ड थाने में बन्द होना कहकर अभिलेख नहीं दिखाया गया तथा पर्याप्त सहयोग न मिल पाने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं का भौतिक निरीक्षण नहीं किया जा सका।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(ज्ञ)

(3) <u>विविध अनियमिततायें :–</u>

<u>सब सेमेस्टर परीक्षा संचालन एंव मूल्यांकन कार्यो के लिए पारिश्रामिक भुगतान दरों का शासनादेश अनुपलब्ध:-</u> सब सेमेस्टर परीक्षा के संचालन एंव मूल्यांकन के विविध कार्यो में कर्मचारियों के योगदान पर इन्हें पारिश्रामिक के रूप में धनराशि का भुगतान जिस दर से की जा रही है,इससे सम्बन्धित शासनादेश विश्वविद्यालय में अनुपलब्ध थे।ओलाच्य अवधि में सब सेमेस्टर परीक्षा संचालन एंव मूल्यांकन में व्यय निम्नवत था।

परीक्षा संचालन व्यय	– 8879000
मूल्यांकन व्यय	– 11025000
	19904000

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में प्रभावी पारिश्रामिक दरें शासनादेश सं0 260/xxiv–6/2009 शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दि0 02 मार्च, 2009 माध्यमिक शिक्षा परिषद के दरों से अत्यधिक उच्च थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर1(व)

<u>31. दून विश्वविद्यालय, देहरादून (वर्ष 2010–11)</u>

<u>अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-</u>

<u>(अधिप्राप्ति सम्बन्धी अनियमितता)</u>

(i) ₹ 2218803.00 का फर्नीचर क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से अधिप्राप्ति किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(ब)एक(अ)

(ii) ₹ 232790.00 हार्टीकल्चर कार्य के लिए मजदूरी व्यय पर भुगतान अनियमित किया गया था।

भाग–दो(अ)प्रस्तर2(ड.)

(iii) ₹ 117082.00 का आपूर्ति आदेश फर्नीचर विड की दर स्वीकृति होने के उपरान्त अन्य एजेन्सी से (मेथोडेस्क कम्पनी) से क्रय किया जाना अनियमित था।

भाग-दो(ब)प्रस्तर1(च)

32.उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हलद्वानी (वर्ष 2005-06 से 2009-10)

(1) दुर्विनियोग-

(i) 31 मार्च, 10 को 294998 के असमायोजित अग्रिमो का समायोजन न किया जाने से दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

(आपत्ति संख्या-1(ज))

(ii) 21-10-08 को चैक सं0 711266 से 711288 कुल ₹ 334240/– का भुगतान परीक्षा आयोजन हेतु केन्द्रो को किया गया। केन्द्रो को पूर्व में 2,34000/- अग्रिम भी दिया गया था। इसका समायोजन प्रस्तुत नही किया जाने से इन अग्रिमों के दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

(आपत्ति संख्या-2(2))

(iii) राज्य बजट से 50,लाख की एफ0डी0 का बनाया जाना दुर्विनियोग था।

(आपत्ति संख्या-4)

(2) अनियमित भुगतान-

(iv) असृजित पदों पर नियुक्ति कर प्रतिमाह 90,000 ₹ का अनियमित भुगतान किया गया था।

(आपत्ति संख्या-12)

33. कु0वि0 नैनीताल (वर्ष 2005-06 से 2006-07)

(1) दुर्विनियोग-

(i) विश्व विद्यालय परिसरों द्वारा ₹ 50,69,893.00 का अस्थाई अग्रिमों की धनराशि का समायोजन न किये जाने से दुर्विनियोग होने की सम्भावना थी।

(आपत्ति संख्या-भाग2(ब)प्रस्तर1(2))

(ii) क्रीडा निधि विश्व विद्यालय द्वारा ₹ 1460300.00 के अस्थाई अग्रिम का समायोजन न किये जाने से दुर्विनियोग होने की सम्भावना थी।

(आपत्ति संख्या-भाग2(ब2)

(2) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान-

(iii) सारणीय हेतु अधिक भुगतान ₹ 1,68,368.00 किया गया था।

(आपत्ति संख्या-प्रस्तर1(7))

(iv) कोलेशन हेतु अधिक भुगतान ₹ 47,205.00 किया गया था।

(आपत्ति संख्या- प्रस्तर1(8))

(v) सेन्टर चार्चेज का अधिक भुगतान ₹ 59548.00 किया गया था।

(आपत्ति संख्या- प्रस्तर1(9))

(vi) उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अधिक भुगतान ₹ 2,86,266.00 किया गया था।

(आपत्ति संख्या-प्रस्तर1(22))

(vi) मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान ₹ 4,57,845.00 किया गया था।

(आपत्ति संख्या- प्रस्तर1(23))

(3) आय/राजस्व की क्षति-

(v) परीक्षा फार्मो का मूल्य प्राप्त न किये जाने से ₹ 89,67,295.00 की आय/राजस्व की क्षति हुई थी।

(आपत्ति संख्या- प्रस्तर1(4)(5)(6))

34. उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा (वर्ष 2010-11)

आर्थिक क्षति:-

(1) कौसानी चाय फैक्ट्री से हरी पत्ती का मूल्य ₹ 22,41,490.00 की वसूली न किये जाने से बोर्ड को आर्थिक क्षति हुई।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-3)

(2) चाय बगान श्यामखेत में 5200 पौधे नष्ट दिखाकर बोर्ड को ₹ 46800.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-12)

(3) मझेड़ा बगान में 627285 पौधे नष्ट दिखाकर बोर्ड को ₹ 56,45,565 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(भाग-दो(ब)प्रस्तर-15)

परिशिष्ट ''क'' भाग-I

(प्रस्तर- 3 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1-	नगर निगम	03
2-	नगर पालिका परिषद	30
3-	नगर पंचायतें	32
4-	विकास प्राधिकरण	05
5-	विश्वविद्यालय	05
6-	डिग्री कालेज	16
7-	इण्टर कालेज	212
8-	जूनियर हाई स्कूल	159
9-	संस्कृत पाठशालायें	70
10-	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	20
11-	ट्रस्ट लेखे	42
12-	विविध लेखे	273
13-	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
14-	बेसिक शिक्षा समितियॉ	13
15-	वन विकास निगम	01
16-	उत्तरांचल चाय बोर्ड	01
17-	पेंशन निधियॉ	14
18-	उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि काशीपुर	01
19-	जल संस्थान	01
20-	राष्ट्रीय सेवा योजना	18
21-	उ0मा0 विद्यालय	69
योग		**947**

परिशिष्ट ''क'' भाग-2

(प्रस्तर-3.1 में सन्दर्भित)

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षायें :-

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)	01
(2) ------तदैव------ (फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल।	01
(4) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।	01
योग	**04**

(ख) शत-प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :-

(1) इन्जीनियरिंग कालेज		02
(2) मन्दिर समितियॉ		03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे		07
(क) विश्वविद्यालय	04	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02	
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01	
योग		**12**
महायोग		**16**

परिशिष्ट ''ख''

(प्रस्तर-3.2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :-

1- नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2- नगर पालिकायें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3- नगर पंचायतें	---तदैव---
4- (क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964
(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	---तदैव---
5- (क) जिला बेसिक शिक्षा समितियॉ	उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972
(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	---तदैव---
6- राज्य विश्वविद्यालय	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973
7- विकास प्राधिकरण	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973
8- वन निगम	उ०प्र० वन निगम अधिनियम-1974
9- महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम।
10- कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तदधीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।
11- जल संस्थान	उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा अधिनियम 1984 की धारा 2(ग) तथा उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 50 के अधिन।

वित्तीय - विनियमावलियॉ

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पॉच,छः	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
राज्य लेखा परीक्षा नियम संग्रहच् (लेखा परीक्षा मैनुअल) 2011	--	सरकारी विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, साविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं, नगरीय स्थानीय निकायों, सरकारी समितियों पर लागू।

परिशिष्ट ''ग''

(प्रस्तर-5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट -1892/दस-78-355(10) दिनांक 21 जून, 1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :-

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 2500.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 100.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(च) शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(च) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है। सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्वविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट ''घ''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

क्र०सं०	जनपद का नाम	पता	दूरभाष संख्या
1	देहरादून	हिल ग्रोव स्कूल, कांवली रोड देहरादून। 248001	0135-2107177
2	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद, हरिद्वार	01344-220955
3	टिहरी (गढवाल)	विकास भवन, नई टिहरी (गढवाल) 249148	01376-232805
4	पौड़ी (गढवाल)	माल रोड थपलियाल भवन पावर हाउस के नीचे, पौड़ी (गढवाल) 249001	01368-223477
5	चमोली	चमोली भवन निकट बस स्टैंड गोपेश्वर (चमोली)	01372- 251486
6	उधमसिंह नगर	पुराना कोषागार भवन किच्छा बाइपास रोड आकांक्षा शोरूम के पास रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	05944-244807
7	नैनीताल	अपर डांडा हाउस तल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड-263001	05942-237781
8	अल्मोड़ा	गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा। पिनकोड-263601	05962-233886
9	पिथौरागढ़	उपाध्याय भवन, टकाना रोड पिथौरागढ़। पिनकोड-262522	05964-22857

परिशिष्ट ''ड.''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :-

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूं।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूं।

(3) सहायक निदेशक, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढवाल)।

राज्य स्तरीय कार्यालय :-

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, वन विकास निगम, नरेन्द्रनगर (अस्थायी मुख्यालय, देहरादून)।

(2) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उधमसिंह नगर।

परिशिष्ट "च"

वर्ष 2011-12 में निस्तारित अनिस्तारित आपत्त्यों का विवरण

जिला	31 मार्च 2011 को अवशेष आपत्तियों की संख्या		वर्ष में आरोपित आपत्तियॅ		वर्ष में निस्तारित आपत्तियॉ		वर्षानत में अवशेष आपत्तियॉ	
	अनुच्छेद	पद	अनुच्छेद	पद	अनुच्छेद	पद	अनुच्छेद	पद
नैनीताल	7095	2016	71	41	04	-	7162	2057
चमोली	3022	487	25	-	-	-	30247	487
रूद्रप्रयाग	1370	105	-	-	-	-	1370	105
कृ0उ0म0 परिषद उधमसिंहनगर	768	-	-	-	97	-	671	-
गो0ब0पन्त0कृ0एंव प्रौ0वि0वि0पन्तनगर (सामान्य लेख)	2400	-	-	-	18	-	2382	-
पिथारौगढ़	2187	-	30	-	122	-	2095	-
चम्पावत	829	-	32	-	142	-	719	-
हरिद्वार	15348	-	161	-	43	-	15466	-
देहरादून	13983	8025	178	-	132	-		
हे0न0बहुगुणा ग0वि0वि0श्रीनगर	2463	2464	-	-	-	-	2463	2454
गो0ब0पन्त कृषि वि0 (फार्म लेखा)	1339	-	-	-	-	-	1339	-
वन विकास निगम	449	359	104	144	-	-	573	703
टिहरी गढ़वाल	7889	1197	271	-	135	-	8025	1199
पौड़ी गढ़वाल	5144	-	96	-	14	-	5226	-
अल्मोड़ा	2536	609	103	04	-	-	2639	107
उधमसिहंनगर	5928	-	344	-	385	-	5887	-
उत्तरकाशी	611	17	33	-	-	-	644	17

परिशिष्ट ''छ''

प्रान्तीय न्यासों की सूची

(प्रस्तर-11.1 में सन्दर्भित)

1- तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोडा।

2- पं0 ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ट, अल्मोडा।

3- पदमा जोशी फण्ड, अल्मोडा।

4- लक्ष्मी देवी मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

5- हरिनन्दन पुनेठा स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

6- विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोडा।

7- नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलोन, मसूरी।

8- राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।

9- टी0सी0 मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।

10- स्टावेल मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

11- गढवाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

12- आर0 मिस्टिस डे एण्डाउमेंट ट्रस्ट यू0पी0, गढवाल।

13- गढवाल क्ले मैमोरियल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।

14- राय महावीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

15- चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

16- पं0 तारादत्त खंडूरी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

17- ठाकुर शालिग्राम सिंह परमार स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

18- गोविन्द पाठशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

19- विक्ट्री मैमोरियल गढवाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोर्लेट फण्ड।

20- श्रीमती सुशीला काला, छात्रवृत्ति न्यास, रूद्रप्रयाग।

21- कुमाउ एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।

22- बच्चा सीडसइण्डिजेण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।

23- रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।

24- बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, नैनीताल।

25- राधेहरि स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, उधमसिंहनगर।

26- लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजुकेशन एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

27- राय साहब पं0 नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

28- श्री संकट मोचन हनुमान मन्दिर हनुमानगढ, नैनीताल।

29- श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।

30- टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डाउमेंट, रूडकी।

31- विजयानगरम स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।

32- फेयरलो मैमोरियल फण्ड।

33- कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।

34- सुल्लीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट ।

35- जनरल अप्रैन्टिस फण्ड, रूडकी वर्कशाप।

36- बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।

37- फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।

38- गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।

39- सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।

40- सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रूडकी।

41- रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट।

42- गवर्नमेंट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।

43- लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

44- शीलप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।

45- श्रीमती सरस्वती बिष्ट स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोडा।

46- गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट, देहरादून।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

परिशिष्ट''ज''

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद नई टिहरी	2009-10	218510	3498445	0	1100000	0	0	0	988357	5805312
2	नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	2009-10 एवं 2010-11	0	613499	68700	0	622087	771263	260000	0	2335549
3	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ	2011-12	0	33899	0	0	36000	0	0	0	69899
4	नगर पालिका परिषद रूद्रपुर	2010-11	684090	465543	0	0	3275489	348675	0	0	4773797
5	नगर पालिका परिषद खटीमा	2009-10 से 2010-11	0	0	0	0	2820073	0	0	0	2820073
6	नगर पालिका परिषद, मसूरी	2009-10	0	413566	112170	0	3526932	1543287	15240443	**0**	20836398
7	नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	2010-11	0	69000	1220748	0	19365840	221319	1926303	**0**	22803210
8	नगर पालिका परिषद, बाजपुर	2010-11	0	1873081	0	**0**	68181	147104	**0**	**0**	2088366
9	नगर पालिका परिषद, जसपुर	2009-10 से 2010-11	0	0	0	259784	0	112729	0	83863	456376
10	नगर पालिका परिषद, किच्छा	2010-11	0	0	0	205702	135690	460349	0	0	801741
	योग		**902600**	**6967033**	**1401618**	**1565486**	**29850292**	**3604726**	**17426746**	**1072220**	**62790721**

नगर पंचायतें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पंचायत गंगोत्री	2009-10 एवं 10-11		498068	68700	0	385655	771263	0	0	1723686
2	नगर पंचायत देवप्रयाग	2010-11		0	17613	0	0	87997	0	0	105610
3	नगर पंचायत कालाढुगी	2009-10		0	0	0	511347	0	0	33268	544615
4	नगर पंचायत लण्ठौरा	2010-11		0	1341144	0	9620	48100	0	0	1398864
5	नगर पंचायत पंतनगर	2009-10		5138993	0	1793520	0	46700	0	985481	7964694
6	नगर पंचायत लक्सर	2010-11		0	0	0	171305	46700	0	663600	881605
7	नगर पंचायत द्वाराहाट	2009-10		159156	0	0	122778	0	0	0	281934
8	नगर पंचायत लालकुआं	2009-10 10-11		12360	0	0	493354	0	0	3052033	3557747
9	नगर पंचायत बडकोट	2009-10 एवं 10-11		421904	999530	0	0	0	0	0	1421434
10	नगर पंचायत मुनिकीरेती	2009-10 एवं 10-11		0	75000	1885147	7477834	1008014	343837	0	10789832
11	नगर पंचायत धारचूला	2009-10 एवं 10-11		739690	0	0	0	0	0	0	739690
12	नगर पंचायत कीर्तिनगर	2009-10 एवं 10-11		5138993	0	1793520	0	985481	0	0	7917994
	योग			**12109164**	**2501987**	**5472187**	**9171893**	**2994255**	**343837**	**4734382**	**37327705**

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अनानुमोदित /विविध अनियमितताय ें	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	१३
1	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद रूद्रपुर	2012-13										
२	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद विकासनगर	2010-11					312514	138870				451384
३	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद ऋषिकेश	2010-11						3513188				3513188
४	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	2008-9 2009-10										
५	कृषि उत्पादन मण्डी समिति रामनगर	2012-13					2285828					2285828
६	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	2012-13										
	योग						2598342	3652058				6250400

शिक्षण संस्थायें

जू0 हा0/इ0 का0/डिग्री कालेज

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महावीर जैन कन्या इण्टर कालेज	2002-03 से 2008-09	-	-	313890	-	-	-	-	-	313890
	योग	-	-	-	313890	-	-	-	-	-	313890

उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमो दित /विविध अनियमि ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	१३
1	उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा	2010-11					7933855					7933855
	योग						7933855					7933855

विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल	2007-08 एवं 2008-09		1995977	15388660			19957405		12105337	49447379
2	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय										
३	कु0 विश्वविद्यालय नैनीताल	2005-06 से 2006-07		1019232				8967295	6530193		16516720
४	तकनीकी वि0विद्यालय देहरादून	2009-10		30879830				1950000			32829830
	योग			33895039	15388660			30874700	6530193	12105337	98793929

विश्वविद्यालय

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	दून विश्वविद्यालय देहरादून	2010-11		2568675						794998	3363673
2	उत्तराखंड मुक्त वि0विद्यालय हल्द्वानी	2005-06 2009-10		90000					5629238		5719238
	योग			2658675					5629238	794998	9082911

विकास प्राधिकरण

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकारण	2008-09 से 2009-10		5477477				735142			6212619
2	हरिद्वार विकास प्राधिकारण	2009-10 से 2010-11		1224102	600369	15734780	33836228	186010			51581489
	योग			**6701579**	**600369**	**15734780**	**33836228**	**921152**			**57794108**

सारांश

क्र० सं०	लेखे का नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नगर पालिका परिषदें	902600	6967033	1401618	1565486	29850292	3604726	17426746	1072220	62790721
2	नगर पंचायतें	0	12109164	2501987	5472187	9171893	2994255	343837	4734382	37327705
3	विकास प्राधिकरण	0	6701579	600369	15734780	34571370	186010	0	0	57794108
4	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	0	0	0	0	2598342	3652058	0	0	6250400
5	शिक्षण संस्थायें	0	0	313890	0	0	0	0	0	313890
6	विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षा	0	33895039	15388660	0	0	30874700	6530193	12105337	98793929
7	विश्वविद्यालय	0	2658675	0	0	0	0	5629238	794998	9082911
8	चाय विकास बोर्ड	0	0	0	0	7933855	0	0	0	7933855
	योग	902600	62331490	20206524	22772453	84125752	41311749	29930014	18706937	280287519

उत्तराखण्ड शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग-2

(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

वर्ष

2011-12

प्रतिवेदक: निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर,उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-2

(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

(1)-प्रशासनिक खण्ड

क्र०सं०	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1-	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	1.1	1
2-	सम्प्रेक्षाधीन लेखे	2.1-2.2	1
3-	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	3.1-3.2	2-3
4-	प्रभागीय आय-व्ययक	4.1 से 4.3	3-4
5-	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	5	4
6-	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	6.1 से 6.3	4-5
7-	प्रभाग की जनशक्ति	7	5
8-	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	8	6
9-	सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें	9	6
10-	विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन	10	6
11-	निष्कर्ष	11	7
(2)-	कार्यकारी खण्ड	-	8-37
(3)-	परिशिष्ट,क,ख,ग,घ व अन्य	-	38-52

प्रशासनिक खण्ड

उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम, 2003 की धारा 64 एवं उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

1- विभागीय प्राधिकार के स्रोत-

1.1 उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम, 2003 की धारा 64 तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 40 तथा पंचायत राज नियमावली, 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्रावधान है। उ०प्र० जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, 1999 के नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है।

2- सम्परीक्षाधीन लेखे-

2.1 वर्ष 2011-12 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं की संख्या 2765 और पंचायत राज संस्थाओं की संख्या 7520 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दिये गये है।

2.2 सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के लिए संगत अधिनियम जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट "ख"** में दी गयी है।

3- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य –

3.1 सम्परीक्षा का कार्य संस्था के वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व है। राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ-साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही हैं और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक, सहकारी समितियाँ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण भी किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरुप किया गया हैं अथवा नही और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही हैं अथवा नहीं, इसकी समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है।

3.2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप-

1- सम्परीक्षाधीन सहकारी समितियों व पंचायत राज संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

4- सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय-व्यय, रोकड पत्र एवं लाभ-हानि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।

5- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरुप सहकारी संस्थाओं को उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

6- सहकारी संस्थाओं में नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप अशोध्य व संदिग्ध परिसम्पत्तियों का आंकलन करना।

7- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

8- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उसे राजकीय कोषागार में जमा कराना।

9- सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरुपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को विशेष प्रतिवेदन निर्गत करना।

10- उपर्युक्त सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

11- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

4- प्रभागीय आय-व्ययक–

4.1- यह प्रभाग उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन हैं और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक है।

4.2- इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियॉ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

4.3- लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का एकमात्र स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता हैं जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1977 से निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (**परिशिष्ट 'ग'**) उत्तराखण्ड राज्य में लागू है। अतः राजकीय कोष में अभिवृद्धि हेतु

सम्परीक्षा शुल्क की दरों का पुनः निर्धारण शासन स्तर से किया जाना उचित होगा।

5- सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति-

वर्ष 2011-12 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी-

01 अप्रैल, 2011 को प्रारम्भिक अवशेष	रू0	6994279.00
वर्ष में अवधारित शुल्क धनराशि	रू0	(+) 6570706.00
	योग रू० -	**13564985.00**
वित्तीय वर्ष 2011-12 में राजकीय कोष में जमा धनराशि रू0 –		(-)6040056.00
	31 मार्च, 2012 को बकाया रू०-	**7524929.00**

6- विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था-

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शा०सं० 5058/ वि०शा०स०/ 2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन कार्यरत हैं, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि-स्तरीय है।

(1) **मुख्यालय स्तरीय।**

(2) **जिला स्तरीय।**

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** "घ" में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी हैं जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** "घ-1" में दी गयी है।

6.1- मुख्यालय स्तर-

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून में स्थित है।

6.2- मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-7 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे- राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय

उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें, सहकारी भेषज संघ आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा कार्य का पर्यवेक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

6.3- जनपद स्तरीय-

लेखा परीक्षाधीन इकाईयां राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। सभी 13 जनपदों में जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी है। इनके अधीन नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-।, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक जनपदों में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते हैं।

7- प्रभाग की जनशक्ति-

वर्ष 2011-12 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है:-

क्र०सं०	अधिकारी/ कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं०	रिक्त पद सं०
1-	समूह "क"	04	01	03
2-	समूह "ख"	18	06	12
3-	समूह "ग" :-			
	सहा०ले०प०अ०	35	31	04
	ज्ये०ले०परीक्षक ग्रेड-1	09	07	02
	ज्ये०ले०परीक्षक	221	26	195
	लेखा परीक्षक	55	09	46
	योग लेखा परीक्षा कर्मी-	**320**	**73**	**247**
	लिपिक वर्ग	60	26	34
4-	समूह "घ"	35	07	28
-	**कुल योग**	**437**	**113**	**324**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रभाग में जनशक्ति की कमी लगातार बनी हुई है। अस्तु कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु रिक्त पदों को भरा जाना अत्यन्त आवश्यक है।

8- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य-

वर्ष 2011-12 में 22.81 प्रतिशत कार्यरत लेखा परीक्षा कर्मियों से सम्परीक्षाधीन 10285 लेखाओं में से 2236 चालू व 2099 अवशेष वर्षो सहित कुल 4335 लेखाओ की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों, जिला सहकारी दुग्ध संघो की लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की गयी है।

9- सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें-

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में सम्परीक्षित लेखाओं में उदघाटित गम्भीर अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू० 1353.20 लाख की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि
1-	व्यपहरण	175.54
2-	अनियमित/अधिक भुगतान	250.65
3-	आर्थिक क्षति	9.55
4-	दुरूपयोग/दुर्विनियोग	526.86
5-	विविध अनियमितताये	390.60
	योग	**1353.20**

10- विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन-

लेखा परीक्षित संस्थाओं में गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली के नियम 233 के अनुसार निर्गत किये जाते हैं।

11- निष्कर्ष-

वर्ष 2011-12 में 2765 सहकारी संस्थाओं एवं 7520 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जानी थी। सहवर्ग की कमी के कारण बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर अधिनियम की धारा 44 ए०बी० में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए 1170 सहकारिता एवं 1166 पंचायतों की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 09 में वर्णित रु0 1353.20 लाख की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण दुर्निवियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट है।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक

कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वित्तीय वर्ष 2011-12)

वर्ष 2011-12 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(आँकड़े लाखों में)

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1-	जिला सहकारी बैंक लि०	417.29
2-	चीनी मिल एवं गन्ना सहकारी समितियां	27.76
3-	जिला भेषज संघ एवं केन्दीय उपभोक्ता भण्डार	139.34
4-	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां	553.47
5-	किसान सेवा/दीर्घा०/साधन समितियाँ	10.18
6-	उद्योग समितियां	14.84
7-	ग्राम पंचायत	190.32
	योग	1353.20

:वर्ष 2011-12 में सम्पन्न सम्परीक्षाऐं(विशेष प्रतिवेदन)::

जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरकाशी

(वर्ष 2009-10)

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- बैंक शाखा भटवाड़ी में बैंक के भवन स्वामी श्री अम्बिका प्रसाद भटट को ऋण प्रतिदान क्षमता का आंकलन किये बिना शाखा से तीन प्रकार के ऋण रू0 1079233.00 का अनियमित वितरण किया गया।

2- शाखा बड़कोट में माह दिसम्बर 1988 से सितम्बर 2009 तक का भवन किराया सरदार इन्दर सिंह के खाते में जमा करके तथा न्यायालय के निर्णयानुसार पुनः श्री उम्मेद सिंह को भुगतान करके बैंक को रू0 41250.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

3- श्री प्रेम लाल भटट को बैंक शाखा चिन्यालीसौड़ से भवन ऋण तथा शाखा ज्ञानसू से वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजनान्तर्गत भवन ऋण रू0 2502067.00 स्वीकृत कर अनियमित वितरण किया गया।

4- बैंक शाखाओ में व्यक्तिगत ऋण की सुरक्षा हेतु विनियोजन बन्धक पत्र रखे बिना ऋण रू0 464598.00 अनियमित वितरित किया गया।

5- श्री दीपक कुमार सचिव /महाप्रबन्धक के भवन ऋण खाते में भूमि की मूल रजिस्ट्री व अन्य वांछित प्रपत्र नहीं लिये गये हैं तथा ऋण रू0 1346344.00 की विधिवत स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक(कैडर)/निबन्धक से न लेकर अनियमित वितरण किया गया।

आर्थिक क्षति-

1- शाखा भटवाड़ी में शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं के व्यक्तिगत ऋण खाते में गत वर्षों से रू0 18654.00 कम ब्याज लगाया गया।

2- बैंक शाखा भटवाड़ी में बैंक भवन के सापेक्ष वितरित ऋण में भवन स्वामी के खाते में रू0 40550.00 कम ब्याज लगाया गया।

3- बैंक शाखा भटवाड़ी में बैंक कर्मचारियों के सी0सी0एल0 खाते में गत वर्षों से रू0 55828.00 कम ब्याज वसूल किया गया।

गम्भीर अनियमितता-

1- बैंक शाखा भटवाड़ी में बैंक भवन के सापेक्ष वितरित ऋण में भवन स्वामी के खाते में रू0 491438.00 कम ब्याज लगाया गया।

2- बैंक भवन विस्तारीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरकाशी को 500000.00 अग्रिम का भुगतान किया गया। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण उ0का0 से नक्शा पास कराये बिना निर्माण कार्य कराना व अग्रिम भुगतान किया जाना अनियमित हैं।

3- वाहन ऋण के सापेक्ष सम्बन्धित वाहन को अनियमित रूप से जब्त कर यथासमय कार्यवाही न करके तथा वाहन को किराये के गैराज में रखकर बैंक को रू0 173145.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

4- बैंक शाखाओं में विगत कई वर्षों से कैश क्रेडिट ओवर ड्राफ्ट की धनराशिया रू0 599112.00 पावना है।

5- शाखा भटवाड़ी में ग्रामीण आवास खातों में शासनादेशों की अवहेलना कर केवल सब्सिड़ी पाने के उद्देश्य से ऋण रू0 20000.00 वितरित किया गया।

6- बैंक शाखा बड़कोट में साधन सहकारी समितियों के ऋण खातों में ब्याज की वसूली न करके असल ऋण शून्य कर बैंक को सूद की धनराशि रू0 1171633.00 से आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

7- बैंक शाखा पुरोला में श्री मालचन्द को वर्ष 2005 में भवन ऋण रू0 421875.00 वितरण उपरान्त वसूली नगण्य है तथा वसूली हेतु विधिक कार्यवाही नहीं की गयी।

जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरकाशी

(वर्ष 2010-11)

गम्भीर अनियमितता-

1- सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तरकाशी की पुरानी सरकारी जीप को बैंक से सम्बद्ध किया गया है, वाहन चालक की व्यवस्था एवं मरम्मत /रखरखाव पर बैंक द्वारा रू0 29245.00 व्यय किया गया।

2- बैंक प्रबन्ध समिति के 13 संचालक (अध्यक्ष सहित), सचिव /महाप्रबन्धक तथा आई0सी0एम0 राजपुर के एक सदस्य कुल 15 सदस्यों पर सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन हेतु 10 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम हेतु रू0 721750.00 व्यय किया

किया गया है। व्यय की पुष्टि में पुष्टि प्रमाणपत्र तथा अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

जिला सहकारी बैंक लि0, देहरादून

वर्ष- 2010-11

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- चालू खाता संख्या-999 में त्रुटिपूर्ण अवशेष अंकित करके जमा धन से रू0 192148.00 अधिक भुगतान कर खाते में अधिविकर्ष किया गया।

2- मैं0 सिद्वार्थ लैटेक्स एण्ड रोटर्स प्रा0लि0 काशीपुर को रबड़ फैक्ट्री स्थापित करने हेतु बैंकिंग नार्म्स एवं शेफ गार्ड की अनदेखी कर बहुत कम नेथवर्थ होते हुए भी बिना गर्वमेंट गारंटी के बैंक कार्यक्षेत्र से बाहर की कम्पनी को जोखिम पूर्ण एवं अनियमित ऋण रू0 3803585.00 दिया गया।

3- मै0 जिन्दल होलीडे होम रामनगर को होलीडे होम निर्माण हेतु बैंक कार्यक्षेत्र की बाहर की कम्पनी को नार्म्स एवं शेफगार्ड की अनदेखी कर ऋण राशि के 1.5 गुना कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक पक्ष में इक्यूटेबिल मौरगेज किये बिना जोखिम पूर्ण एवं अनियमित ऋण रू0 1038466.00 दिया गया।

4- बैंक शाखा-डोईवाला एवं चकराता में भवन निर्माण हेतु बिना किसी कार्यदायी संस्था को माध्यम बनाए, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विरूद्व तथा एग्रीमेन्ट में समय से कार्य पूर्ण न होने पर पैनाल्टी की व्यवस्था किए बिना अनियमित रूप से रू0 1355000.00 का भुगतान किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य अपूर्ण रहा।

5- श्री प्रेमकुमार, सहकारी पर्यवेक्षक को तेल अवीव में बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु चैरिटी फंड में खेल हेतु सहायता, प्राविधान किए बिना अनियमित रूप से लाभ /हानि खाते से रू0 20000.00 आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

6- बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक तथा ऋण सीमा नवीनीकृत कराए बिना अनियमित रूप से ऋण रू0 2955724.00 का भुगतान किया गया।

7- शाखा-कचहरी में रणवीर सिंह व श्रीमती कोमल को गृह ऋण दिया गया। श्री रणवीर सिंह एवं श्रीमती कोमल द्वारा अपना नियोक्ता आर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, दे0दून बताकर मिथ्या प्रमाण एवं विभागीय परिचय पत्र तथा फार्म-16 संलग्न कर शाखा से ऋण लेकर धनराशि रू0 1500000.00 अनियमित एवं असुरक्षित रहा।

दुरूपयोग/दुर्विनियोग-

1- शाखा-कालसी में जयमहासू स्वयं सहायता समूह को राजकीय अनुदान के दुरूपयोग के मन्तव्य से ऋण दिया गया तथा 02-03 माह पश्चात ऋण वसूल कर धनराशि रू0 335000.00 का दुरूपयोग किया गया।

2- शाखा नेहरू कालोनी में राजकीय कर्मचारी को शासनादेश के विरूद्ध अनुदान से आच्छादित ऋण देकर धनराशि रू0 90,000.00 का दुरूपयोग किया गया।

गम्भीर अनियमितता-

1- शाखा कचहरी में विभिन्न मृत स्कन्धों पर अनियमित ह्रास काटकर वर्ष का लाभ हानि खाता प्रभावित कर धनराशि रू0 6025.00 की अनियमितता पायी गयी।

2- उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम सं0 137 के विरूद्ध प्रबंध समिति के सदस्यों को कंबल व लंचबाक्स भेंट कर धनराशि रू0 98000.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

चमोली जिला सहकारी बैंक लि0, गोपेश्वर चमोली

वर्ष 2010-11

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- रूद्रप्रयाग शाखा में बचत खाता संख्या-11368 डा0 चन्द्रभान यादव, में दिनांक-03-12-2007 को रू0 18833.00 से डेविड कर अनियमित भुगतान किया गया।

2- बैंक शाखाओं में अधिविकर्ष शीर्ष अन्तर्गत अवशेष राशि रू0 1261100.29 की वसूली हेतु प्रवाभी कार्यवाही नही की जा रही है।

3- न्यूनतम कोटेशन पर बीमा न कराकर अधिकतम कोटेशन पर बीमा राशि अनियमित भुगतान कर रू0 47126.00 से बैंक को हानि पहुँचाई गयी।

4- श्री आर0एस0 फरस्वाण शाखा प्रबन्धक पीपलकोटी को अवशेष लेखा बन्दी भत्ता रू0 23818.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

5- बैंक शाखा चमोली द्वारा रू0 580000.00 का टिकाउ उपभोक्ता ऋण असुरक्षित रूप से वितरित किया गया।

गम्भीर अनियमितता-

1- जिला सहायक निबन्धक चमोली से वसूली वाहन व उनके ड्राइवर के वेतन हेतु कुल रू0 473198.66 का पावना शेष दर्शित है। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

2- बैंक भवनों का उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्राविधान के अनुसार नियमानुसार निर्माण कार्य न कर रू0 4101772.29 की अनियमितता की गयी।

3- बैंक द्वारा फर्नीचर, काउन्टर, सौफा सेट आदि क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 अनुसार कार्यवाही न कर, उक्त क्रय हेतु रू0 1933429.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

4- बैंक सन्तुलन पत्र व सामान्य खातों की जांच में सामान्य खातों से व्यक्तिगत खातों की वैलन्स बुकों में अन्तर रू0 2107093.41 से अधिक दर्शित है।

ऊधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, रूद्रपुर

वर्ष-2010-11

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- शक्तिफार्म शाखा द्वारा स्वीकृत ट्रेक्टर ऋण रू0 469000.00 के सापेक्ष रू0 4,80,000.00 का भुगतान श्री बलवीर को किया गया। इस प्रकार अनियमित रूप से रू0 11,000.00 अधिक भुगतान किया गया। ऋण पत्रावली में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नही रहा है तथा क्रय बिल एवं बीमा कवर में इंजन नम्बर एवं चैसिस नं0 में भिन्नता है।इस प्रकार दिनांक-31.9.11 को कुल अवशेष ऋण रू0 504097.00 की वसूली हेतु प्रभावी वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

गम्भीर अनियमितता-

1- शान्तिपुरी शाखा में ट्रेक्टर ऋण खाता सं0 136 अनुसार श्री बसन्त राम को दिनांक 01.07.09 को वितरित ऋण रू0 4.00 लाख वसूली न होने पर दिनांक 31.03.11 को रू0 427849.00 हो गया है। अतः वितरित ऋण वसूल किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाय।

2- शक्तिफार्म शाखा में ट्रेडर्स ऋण खाता सं0 1 अनुसार मैसर्स हनी ट्रेडर्स को दिनांक 21.01.04 को रू0 2.00 लाख की व्यवसायकि ऋण सीमा स्वीकृत की गई। वसूली न होने से दिनांक 31.03.11 को अवशेष ऋण राशि रू0 403535.00 हो गई है। उक्त खाता एन0पी0ए0 के अन्तर्गत वर्गीकृत है

लेकिन खाता एन0पी0ए0 होने के उपरान्त भी व्याज आकलित किया जाना नियमों के प्रतिकूल है अतः ऋण वसूली हेतु तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

पिथौरागढ जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ

वर्ष 2010-11

<u>गम्भीर अनियमितता-</u>

1- निबन्धक परिपत्र सं0:-220/भवन ऋण दिनांक 28.02.05 अनुसार बैंक कर्मचारियों को भवन ऋण के व्याज की वसूली का 50 प्रतिशत भवन ऋण में तथा 50 प्रतिशत व्याज में किये जाने का अनुपालन बैंक द्वारा विगत वर्षो से नही किया जा रहा है। अनुपालन न किये जाने से दिनांक 31.03.11 को कर्मचारियों के भवन ऋणों पर रू0 1868887.00 व्याज का अवशेष है। उक्त परिपत्र का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

2- शासनादेश संख्या-177/xxxvii(7)/2008 दिनांक 01.05.08 अनुसार उत्तराखण्ड 'अधिप्राप्ति नियमावली' का बैंक में अनुपालन नही किया जा रहा है, यथा-

(1) दिनांक 05.01.11 को किचन कलैक्सन पिथौरागढ से 665 कैसरोल खरीद @ 240.00 का भुगतान रू0 159600.00 किया गया। उक्त खरीद एक लाख से अधिक है। अतः टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये थे जबकि केवल कोटेशन लिये गये है।

(2) दिनांक 03.01.11 को 7500 कैलेण्डर @ 13.00 का रू0 97500.00 डायरी बडी 100 @ 199.00 का रू0 19900.00 डायरी मीडियम 1100 @ 99.00 का रू0 108900.00 कुल धनराशि रू0 226300.00 का भुगतान भगवती मुद्रण एवं प्रकाशन समिति लि0 पिथौरागढ को किया गया। उक्त खरीद टेण्डर लेकर की जानी चाहिये थी जबकि केवल कोटेशन लिये गये है।

(3) दिनांक 28.12.10 को मुन्ना सिंह, गणेश सिंह टौलिय से 22 कम्बल @ 1900.00 कुल रू0 41800.00 की खरीद की गयी जिस हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाने चाहिये थे जबकि नही किये गये।

अल्मोडा जिला सहकारी बैंक लि0, अल्मोडा

वर्ष–2010-11

दुरूपयोग-

1- शाखा ताडीखेत द्वारा दिनांक 31.03.11 को वर्ष 08-09 हेतु रू0 7500.00 का भुगतान वसूली वाहन किराया हेतु किया गया है। जबकि उक्त का दायत्वि दर्शित न होने पर भी भुगतान किया जाना अनियमित रहा है।

2- बैंक प्रबंध समिति के सदस्यों की हवाई जहाज यात्रा में रू0 169710.00 का अनियमित भुगतान कर बैंक के धन का दुरूपयोग किया गया।

गंभीर अनियमितता-

1- बैक अधिविकर्ष खातों में गत वर्षो से अवशेष राशि रू0 1318353.44 की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नही की गई है।

2- बैंक शाखाओं में रू0 1751279.83 का सी0सी0 उपभोक्ता/उर्वरक एवं अन्य ऋण की वसूली हेतु शाखा प्रबन्धकों द्वारा ठोस प्रयास नही किये गये है।

3- दिनांक 31.03.11 को बैंक शाखाओं के संतुलन पत्र एवं बैलेन्स बुको में रू0 1038522.3 के अन्तर रहे है। अन्तर की धनराशि हेतु सम्बन्धित शाखा प्रबन्धको पर दायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

4- शाखा नंदादेवी के श्री जितेन्द्र साह के सी0सी0बी0टी0 खाता संख्या 14 से रू0 1957790.00 अवशेष ऋण की वसूली न होने से ऋण की वसूली संदिग्ध है।

5- शाखा स्याल्दें में दिनांक 31.03.11 को श्री इन्द्र राम के खाते में रू0 88744.00 अवशेष सी0डी0एल ऋण की वसूली हेतु कार्यवाही नही की गई है।

6- शाखा चौखुटिया में श्री सुनिल काण्डपाल को सहभागिता योजना के अर्न्तगत वितिरित ऋण की अवशेष राशि रू0 149363.70 की वसूली हेतु शाखा प्रबन्धक पर दायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

जिला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0, उत्तरकाशी

वर्ष 2006-07 से 2009-10

आर्थिक क्षति-

1- सीमेंट खरीद बिलों पर बिक्री दर कम लगाकर भण्डार को रू0 17416.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

गम्भीर अनियमितता-

1- सप्लायर के बिलों का भुगतान चेक से न करके नकद किया गया है। फर्म की प्रिंटेड पक्की रसीद न लेकर पैड पर ली गयी है। जिससे रू0 3767140.00 की अनियमितता पायी गयी।

2- ''020'' ग्राहक खाता से बिना विवरण पुराना पावना रू0 89083.82 समाप्त किया गया।

3- विगत वर्षों से ही बैक हिसाबात का मिलान नहीं किया गया है, तथा बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप बैंक खातों में रू0 8912801.52 की अनियमितता पायी गयी।

4- संतुलन पत्र दिनांक 31-03-2007 में राजकीय ऋण पर देय ब्याज 229047.00 की रिवर्स एंट्री पारित कर दायित्व समाप्त किया गया।

जिला भेषज सहकारी संघ लि0, उत्तरकाशी

वर्ष 2009-10

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- व्यापार कर वाद की पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री तनुज सेमवाल को अग्रिम रू0 120000.00 अनियमित भुगतान किया गया।

2- बिना बिल व स्टाक दर्ज किये ही कूट बीज क्रय का भुगतान रू0 5000.00 किया गया।

3- लगभग सात वर्षों के बाद व्यापार कर केस अपीलों की फीस का भुगतान रू0 26000.00 किया गया।

दुर्विनियोग/दुरूपयोग-

1- जिला योजनान्तर्गत बाजार सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुदान राशि रू0 25000.00 का दुरूपयोग किया गया।

2- अनुदान अप्रयुक्त अवशेष रखकर अनुदान के मूल उददेश्यों की उपेक्षा करते हुए अनुदान राशि रू0 671349.00 का दुरूपयोग किया गया।

3- गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर शासन को गुमराह कर रू0 68600.00 का अनुदान प्राप्त किया गया।

गंभीर अनियमितता-

1- त्रुटिपुर्ण/अपुष्ट प्रविष्टि कर रू0 3225.00 की देनदारी दिखाया जाना अनियमित है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, देहरादून

वर्ष- 2007-08 से 2008-09

अपहरण-

1- बिना दूध प्राप्ति के राघव सेवा निकेतन को दूध मूल्य रू0 282087.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया।

2- संघ के एच0टी0सी0 खाते से भाड़े का फर्जी भुगतान कर धनराशि रू0 35708.00 का अपहरण किया गया।

3- एस0एम0पी0 के शेष स्टाक पंजिका में 350 कि0ग्रा0 की कमी दर्शाकर स्टाक का रू0 41650.00 का अपहरण किया गया।

4- दूध प्राप्ति पंजिका से दूध स्टाक पंजिका में 1456 ली0 दूध कम दर्शाकर धनराशि रू0 37856.00 का अपहरण किया गया।

5- दूध का बिना डेरी स्टाक रजिस्टर में आमद दर्शाकर 13200 ली0 दूध का मूल्य भुगतान कर रू0 194607.00 का अपहरण किया गया।

6- दूध की प्राप्ति 50 ली0 कम दर्शाकर धनराशि रू0 1300.00 का अपहरण किया गया।

7- एम0डी0एफ0 से प्राप्त 75 कि0ग्रा0 मक्खन को स्टाक में न लेकर धनराशि रू0 12,000.00 का अपहरण किया गया।

8- 91 कि0ग्रा0 क्रीम शेष स्टाक वास्तविक स्टाक से कम दिखाकर धनराशि रू0 9,100.00 का अपहरण किया गया।

9- 2350 ली0 सप्रेटा दूध, सप्रेटा स्टाक में कम अंकित कर धनराशि रू0 47,000.00 का अपहरण किया गया।

10- मक्खन का स्टाक अधिक खारिज कर धनराशि रू0 45,100.00 का अपहरण किय गया।

11- 60.200 कि0ग्रा0 मक्खन का स्टाक कम दिखाकर धनराशि रू0 12341.00 का अपहरण किया गया।

12- 173.500 कि0ग्रा0 घी स्टाक में कम दिखाकर धनराशि रू0 33312.00 का अपहरण किया गया।

13- 772.177 कि0ग्रा0 होलमिल्क से प्राप्त वसा को कम दर्शित कर धनराशि रू0 148258.00 का अपहरण किया गया।

14- प्राप्त वसा की मात्रा को डेरीबुक में 228.214 कि0ग्रा0 कम प्राप्त दिखाकर धनराशि रू0 45643.00 का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- 13 संविदा कर्मचारियों को स्थिर मानदेय पर 06 प्रतिशत वृद्धि करके धनराशि रू0 13320.00 का भुगतान अनियमित रहा।

2- दुग्ध उत्तराखण्ड सहकारी संघ बिजनौर को आपूर्ति दूध मात्रा से अधिक भुगतान धनराशि रू0 468801.00 अनियमित रहा।

3- सुंदर सेवा का खराब स्वादव गुणवत्ता वाले दूध मूल्य रू0 42931.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

4- संघ का जनेरेटर मरम्मत उपरान्त भी दीपशिखा डेकोरेटर का रू0 38500.00 का अनियमिति/भुगतान किया गया।

5- मैं0 आर0 के0 जी0 पोली फिल्म को अनियमिति रूप से बढाई गयी रू0 180821.00 दरों पर भुगतान किया गया।

6- जनपद टिहरी में चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षर्थियों को लन्च पैकेट का स्थानीय बाजारी रू0 46330.00 दर से अधिक भुगतान किया गया।

7- संघ लेखों में दूध प्राप्ति की पुष्टि के बिना 12 वर्ष पश्चात दूध आपूर्ति मूल्य रू0 33639.00 का भुगतान मुज्जफरनगर दूध संघ को अनियमित रूप से किया गया।

8- लॉग बुक में 300 ली0 डीजल के स्थान पर 350 ली0 का भुगतान कर 50 ली0 डीजल का रू0 1689.00 का अधिक भुगतान किया गया।

आर्थिक क्षति-

1- एस0एम0पी0 से सप्रेटा दूध निर्धारित मानक से कम बनाकर रू0 257060.00 की हानि पहुंचायी गयी।

2- 653 कि0ग्रा0 एस0एम0पी0 विभिन्न दुग्ध पदार्थो के निर्माण हेतु रू0 77707.00 स्टाक से खारिज किन्तु सम्बन्धित में कम मात्रा प्राप्त दिखाकर हानि पहुंचायी गयी।

3- स्टैन्डर्ड दूध को होलदूध में कम प्राप्त दिखाकर रू0 1475.00 हानि पहुंचायी गयी।

4- 895 ली0 होल दूध, क्रीम एवं सप्रेटा में निर्गत मात्रा से कम मात्रा दिखाकर रू0 23270.00 की हान पहुंचायी गयी।

5- कुल क्रय होल दूध किग्रा0 का ली0 में बनाते समय कम दिखाकर रू0 4758.00 हानि पहुंचायी गयी।

6- सप्रेटा दूध से एवं एस0एम0पी0 से प्राप्त दूध के योग को स्टाक में रू0 4000.00 कम दिखाकर हानि पहुंचायी गयी।

7- सप्रेटा दूध में अन्य दूध का प्राप्त स्टाक कम दिखाकर रू0 32540.00 की हानि पहुंचायी गयी।

8- 20 किग्रा मक्खन अधिक स्टाक में खारिज करके रू0 4100.00 की हानि पहुंचायी गयी।

9- संघ के गेस्ट हाउस में निवास कर रही श्री जयदीप अरोडा से निर्धारित किराया रू0 30720.00 कम प्राप्त कर हानि पहुंचायी गयी।

10- मै0 अजन्ता राज से एस0एम0पी0 अधिक दर पर खरीद कर रू0 382500.00 की हानि पहुंचायी गयी है।

11- आदेशों के बावजूद समितियों से फटे दूध की कटौती न कर रू0 5257.00 की हानि पहुचायी गयी है।

दुरूपयोग/दुर्विनियोग-

1- प्रबन्धकीय अनुदान- सामान्य राशि निर्धारित शर्तो के अधीन उपयोग न कर राजकीय अनुदान रू0 23891.00 का दुर्विनियोग किया गया ।

2- अनुदान राशि का संघ द्वारा विगत वर्षो से स्वीकृत मदों पर व्यय न कर रू0 50146587.00 को अन्य मदों में व्यय करके दुरूपयोग/दुर्विनियोग किया गया।

गम्भीर अनियमितता-

1- संघ द्वारा राजकीय कम्रचारियों के व्यक्तिगत पावने को अनियमिति रूप से समाप्त कर रू0 309769.00 को एडवान्स टू स्टाफ के नाम डालकर गम्भीर अनियमितता की गयी।

2- बिना वास्तकिव वसूली एवं भुगतान के संतुलन पत्र की राशि रू0 1264933.00 को एडवान्स टू पार्टी व पी0एन0बी0 खाते में पावना एवं देनदारी को अनियमित रूप से समाप्त किया गया।

3- संघ में वर्ष पर्यन्त राजकीय अवकाशों में अनावश्यक रूप से भाडे के वाहन प्रयोग कर रू0 40500.00 का संघ को हानि पहुंचायी गयी।

4- दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को पशुआहार रू0 25646.00 उधार बिक्री करके वसूली नही की गई।

5- विभिन्न संस्थाओं को दूध, घी उधार बिक्री करके रू0 152734.00 की वसूली नही की गयी।

6- मै0 उत्तरप्रदेश ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर को डीजल जनरेटर सैट मरम्मत हेतु रू0 368568.00 को कार्यदेश के पूर्व ही भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी।

7- बिना पुष्टि के 240 किग्रा0 सफेद मक्खन वापस दर्शाकर रू0 44400.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी।

8- श्री चन्द्रपाल सैनी ट्रांसपोर्टर को रू0 26308.00 दूध परिवहन का अनियमित भुगतान किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत-
वर्ष 2010-11

विविध अनियमितता-

1- वर्ष 2008-09 में आर्मी बनबसा को दूध एवं मख्खन की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य रू0 67924.80 का 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भी वसूली ना किया जाना अनियमितित्ता रही है।

2- व्यक्तिगत देनदार शीर्षक अर्न्तगत कर्मचारीयों से रू0 281574.99 का विगत वर्षो से वसूली ना किया जाना अनियमित्ता रही है।

गृह उद्योग (लीसा) उत्पादन सहकारी समिति लि0 कोटद्वार, पौडी गढवाल

वर्ष 2009-10

अपहरण-

1- समिति द्वारा शापिंग काम्पलेक्श हेतु रू0 1715610.00 का भुगतान इस्टीमेंट के आधार पर ठेकेदार को किया जाना था। परन्तु रू0 3199614.00 का भुगतान कर समिति को रू0 1484004.00 की क्षति पहुचाई । जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सितारगंज

वर्ष 05-06 से 09-10

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- मिल समिति की स्टोर इनवैन्ट्री के अनुसार रू0 15.48 लाख का स्टाक डम्प कर मिल समिति का व्याज की हानि पहुंचाई गयी।

2- दिनांक 10.12.09 को मिल समिति की मियादी अमानत को बन्दक रखकर दिये गये ऋण पर रू0 832995.00 लाख व्याज का भुगतान टी.डी.एस. सहित कर मिल समिति को सीधे हानि पहुंचाई गई।

3- चीनी मिल केंद्रीय उत्पाद एवं शीरा मंडल के निरीक्षक द्वारा शीरा टैंक नं0 2 में 2913.89 कुन्टल शीरा क्षमता से अधिक पाया गया, जिसपर दिनांक 27.10.08 को अंकन रू0 57000.00 दण्ड शुल्क का भुगतान करना पडा।

4- वर्ष 2009-10 में प्रधान प्रबन्ध विवेकाधीन कोष से बजट के सापेक्ष रू0 5000.00 अधिक व्यय किया गया।

दुर्विनियोग-

1- दिनांक 6.11.09 प्रमाणक सं0 978 गन्ना समिति लिपिक को मेडिकल व्यय रू0 28878.00 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

2- माह मार्च 2007 से अप्रैल 2008 तक उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को दो श्रमिको का रू0 50000.00 बिना आधार एवं विवरण के अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

विविध अनियमितता-

1- मिल समिति में दि0 31.03.08 से आउटस्टेंडिंग ऐक्सपेंसेज सूची का योग रू0 3506.99 से दायित्व अधिक दर्शाया जा रहा है।

2- दिनांक 31.03.10 कैश प्रमाणक बैंक 2188 अरेनस्ट मनी रू0 20000/- चैक डिसऑनर होने पर भी अधिक दर्शा कर वर्ष 2007-08, 2008-09 को प्रभावित किया जाना।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बाजपुर

अपहरण-

2- वर्ष 2007-08 में एन0पी0के0 खाद 27.850 एम0टी0 तदानुसार बैग 557 स्टाक पंजिका में लेखांकित नही किये गये इस प्रकार 412.66 प्रति बैग की दर से आगणित धनराशि रू0 229851.00 का अपहरण किया गया।

गडोली दीर्घा0बहु0सह0समिति लि0, उत्तरकाशी

वर्ष 2009-10

अपहरण-

1- समिति सदस्य द्वारा जमा राशि को कैश बुक में लेखा न कर रू0 5300.00 का अपहरण किया गया।

2- मिनी बैंक रोकड़ बही में नकद जमा राशि को योग में कम लेखा कर रू0 500.00 का अपहरण किया गया।

3- रोकड़ बही (मिनी बैंक) में कम रोकड़ शेष अंकित कर रू0 90999.00 का अपहरण किया गया।

लोहाथल साधन सहकारी समिति लि0, पिथौरागढ
वर्ष- 2004-05 से 2010-11 तक

अपहरण-

1- दिनांक 31.03.11 को डैट स्टॉक विभागीय अधिकारी द्वारा रू0 62607.70 सत्यापित है जबकि बैलेन्सशीट में रूपये 69042.00 दर्शित है। इस प्रकार रू0 6434.30 स्टॉक कम सत्यापित है। कम सत्यापित स्टॉक का दायित्व निर्धारित किया जाये।

गढतिर साधन सहकारी समिति लि0, पिथौरागढ
वर्ष- 2004-05 से 2010-11 तक

अपहरण-

1- सदस्य श्री दरपान राम से रू0 1000.00 वसूल कर कैश बुक में दर्ज नही किया गया है, वसूली अपेक्षित है।

2- सदस्य सुश्री गोविन्दी देवी से रू0 2000.00 कर कैश बुक में 1000.00 रूपये दर्ज किया गया है, 1000.00 रूपयें की वसूली अपेक्षित है।

3- सदस्य प्रताप सिंह से रू0 13793.00 वसूल कर कैश बुक में 13593.00 रूपयें दर्ज किया गया है, 200.00 रूपये की वसूली अपेक्षित है।

4- सदस्य भगवती प्रसाद से रू0 800.00 वसूल कर कैश बुक में 500.00 रूपये दर्ज किया किया गया है, 300.00 रूपये की वसूली अपेक्षित है।

5- सदस्य कैलाश से रू0 2000.00 वसूल कर कैश बुक में दर्ज नही किया गया है, 2000.00 रूपये की वसूली अपेक्षित है।

6- सदस्य लालू राम से रू0 1000.00 वसूल कर कैश बुक में दर्ज नही किया गया है, 1000.00 रूपये की वसूली अपेक्षित है।

बेरीनाग साधन सहकारी समिति लि0, पिथौरागढ
वर्ष- 2004-05 से 2010-11 तक

अपहरण-

1- बैंक जमा एम0टी0ऋण रू0 1500.00 व्यय प्रमाणक अनुसार कैश बुक में रू0 7500.00 खारिज किया गया। रू0 6000.00 व्यपहरण किया गया जिसकी वसूली सचिव से अपेक्षित है।

2- आलोच्य वर्षो में निम्न तिथियों को कोयला खरीद की गयी-

दिनांक	धनराशि
15.02.05	1300.00
03.01.06	3000.00
30.03.07	2520.00

उक्त खरीद से संबंधित प्रमाणक नही पाये गये जिससे खरीद अवास्तविक रही, जिसकी वसूली सचिव से अपेक्षित है।

केलाखेडा किसान सेवा सह0समिति लि0, बाजपुर(उ0सि0नगर)
वर्ष 2010-11

अपहरण-

1- नकद प्रमाणक सं0 461 दिनांक 22.10.10 अन्तर्गत दर्शित बिल से फोटोस्टेट व्यय रू0 100.00 अधिक कोषांकित है।

2- दिनांक 17.04.10 को SB A/C NO. 3017 से एक बार रू0 100.00 अधिक भुगतान व पुन: रू0 500 अधिक भुगतान किया कुल रू0 600.00 का अपहरण किया

3- दिनांक 23.04.10 का SB A/C NO. 3016 पर क्रमांक 21 व 38 पर दो बार रू0 500.00 का भुगतान घटाया गया है। अत: दोबारा भुगतान राशि रू0 500.00 वसूली योग्य है।

4- विभिन्न तिथियों में बिना भुगतान प्रमाणक के भुगतान किये गये हैं। इस प्रकार रू0 4800.00 का अपहरण किया गया।

5- दिनांक 05.05.10 को बैंक में खातेदार द्वारा अपने SB A/C NO.2088 में रू0 4500.00 जमा कराया गया मिनी बैंक प्रभारी द्वारा कोषवही व अन्य लेखों में मात्र रू0 4000.00 जमा अंकन कर रू0 500.00 कम अंकित कर अपहरण किया।

6- मुख्य कोषवही से मिनी बैंक को दिनांक 06.04.10 का रू0 41350.00 भुगतान दर्शित है तथा दिनांक 15.05.10 को रू0 1,00,000.00 भुगतान दर्शित किन्तु मिनी बैंक में उक्त धनराशि कुल रू0 1,41,350.00 जमा नही रही है।

7- दिनांक 19.7.10 को वास्तविक हस्तगत रोकड़ से कम रोकड़ अंकित कर रू0 420.00 का अपहरण किया गया।

8- SB A/C NO.661 से दिनांक-05-02-2009 को फर्जी हस्ताक्षर द्वारा निकाली गई धनराशि रू0 10000.00 खातेदार की शिकायत पर मिनी बैंक प्रभारी के नाम डालकर दिनांक 27.12.10 को खातेदार का भुगतान की गई। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

9- दिनांक 10.7.10 को SB A/C NO.652 खातें में वास्तविक शेष राशि रू0 200.00 में अपरलेखन कर रू0 70,200.00 की गई तथा उक्त राशि रू0 70000.00 का आहरण कर लिया गया। इस प्रकार अपहरण की धनराशि रू0 70,000.00 की वसूली अपेक्षित है।

गम्भीर अनियमितता-

1- निलंबित तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता के आरोपी 3 कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 हेतु बोनस का रू0 10362.00 अनियमित भुगतान किया गया।

2- गेहू खरीद अंतर्गत सुख सुविधा मद में अनुमन्य राशि से रू0 1110.00 अधिक व्यय किया गया।

3- दिनांक-31.3.10 कर्मचारी एफडी0 आर0 अंकन रू0 542070.00 को समायोजन द्वारा रू0 463770.00 दीगर हानि, रू0 77967.00 रिस्क फंड, एवं रू0 333.00 ग्रामीण गोदाम खाता में स्थानान्तरित कर अनियमित रूप से समाप्त किया गया।

4- समिति की मुख्य कोषवही से दिनांक-30-06-2010 को रू0 5.70 लाख मिनी बैंक को भुगतान किया गया तथा 13.07.10 को समिति मुख्यालय को वापिस किया गया। जबकि मिनी बैंक की कोई मांग नही थी। इस धनराशि पर संस्था को रू0 2436.00 ब्याज की क्षति हुयी है।

जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0, ऊधमसिंह नगर

वर्ष 2010-11

विविध अनियमितता-

1- मिनी बैंक प्रभारी के निजि खाता संख्या 964 में वर्ष दोरान विभिन्न तिथियों में अधिविकर्ष पर रू0 111063.00 व्याज की वसूली न कर संस्था को हानि पहुचाई गई।

2- दिनांक 27.09.10 को बैंक मुख्यालय शाखा से प्राप्त रू0 30000.00 को मिनी बैंक शाखा महुवाडाबरा के आंकिक द्वारा 43 दिन बाद दि0 09.11.10 कों कोषबही में अंकित किया गया। इस प्रकार मिनी बैंक प्रभारी द्वारा अस्थाई अपहरण कर संस्था को रू0 636.00 की व्याज क्षति पहुंचाई गयी।

ग्राम पंचायत- न्यूगॉव, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2007-08 में बैंक से आहरित धनराशि के अभिलेख तैयार न कर रू0 540616.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत- ढुंगी, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2004-05 से 2009-10

दुरूपयोग-

1- ग्राम पंचायत द्वारा एस0जी0आर0वाई0 तथा राज्य वित्त की धनराशि आहरण के अभिलेख तैयार न कर पंचायत/शासन धन रू0 430150.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत- पटूरी, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2004-05 से 2009-10

<u>दुरूपयोग-</u>

1- वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक प्राप्त अनुदान राशि के अभिलेख तैयार न कर रू0 609660.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी।

ग्राम पंचायत- बडेथ, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

<u>अधिक/अनियमित भुगतान-</u>

1- ग्राम पंचायत प्रधान व ग्रा0पं0 व वि0 अधिकारी द्वारा वर्ष 2006-07 व 2007-08 के अभिलेख तैयार न करके पंचायत शासन के धन रू0 394918.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत- धणेटी, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष 2007-08 से 2009-10

<u>अधिक/अनियमित भुगतान-</u>

1- ग्राम पंचायत प्रधान व ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी द्वारा वर्ष-2007-08 के अभिलेख तैयार न कर ग्राम पंचायत/शासन के धन रू0 383788.00 का दुरूपयोग किया।

ग्राम पंचायत- मोलना, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

<u>अपहरण-</u>

1- मस्ट्रोल में श्रमिकों के प्राप्ति हस्ताक्षर बिना भुगतान दर्शाकर रू0 40515.00 का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण दर्शित भुगतान रू0 29930.00 अनियमित रहा।

2- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण दर्शित भुगतान रू0 69984.00 अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- नैपड, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- वर्ष 2007-08 व माह अप्रैल 2008 तक व्यय प्रमाणक व कोषवही तैयार न कर पंचायत धन रू0 356984.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत- सिगोट, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- ग्राम पंचयत के वर्ष 2007-08 के अभिलेख तैयार न कर दर्शित धनराशि रू0 266190.00 का भुगतान अनियमित रहा।

2- लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण दर्शित भुगतान रू0 60550.00 अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- बरसाली, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- ग्राम पंचायत के वर्ष 2007-08 व 2008-09 के बैंक से आहरण राशि के अभिलेख तैयार न कर धनराशि रू0 1470774.00 का अपहरण किया गया।

2- व्यय राशि के प्रमाणक बिना धनराशि रू0 13500.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- थाती, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी
वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- ग्राम पंचायत के वर्ष 2007-08 व जुलाई 08 तक अभिलेख तैयार नहीं किये गये। बैंक से आहरण धनराशि रू0 447369.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- चिणा खोली, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी
वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2007-08 व 2008-09 के बैंक से आहरण के अभिलेख तैयार न कर पंचायत धनराशि रू0 285649.00 का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- बिना प्रस्ताव के योजना पर अर्नगल व्यय कर पंचायत धन रू0 51000.00 का भुगतान अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- वाण, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी
वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2007-08 के ग्राम पंचायत अभिलेख तैयार नहीं किये गये। बैंक से धनराशि आहरण कर रू0 141240.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- ग्योणोटी, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- ग्राम पंचायत के वर्ष 2007-08 के अभिलेख तैयार नहीं किये मात्र बैंक से राशि आहरण कर रू0 147000.00 का अपहरण किया गया।

2- बैंक से आहरण राशि के व्यय प्रमाणक राशि के व्यय प्रमाणक तैयार न कर रू0 27900.00 का अपहरण किया गया।

3- प्रमाणक वित्त एकल पेयजल योजना का भुगतान दर्शाकर रू0 14000.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- ईड, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2007-08 के अभिलेख तैयार न कर बैंक से आहरण राशि रू0 105448.00 का अपहरण किया गया।

2- योजना पर फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 40000.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- कोट माटगाँव, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

दुरूपयोग-

1- योजनाओं के स्थलीय नाम बिना निर्माण कर पंचायत धनराशि रू0 6827.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत- मजगाँव, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- ग्राम पंचायत वर्ष 2007-08 के अभिलेख अप्राप्त होने पर दर्शित राशि रू0 213940.00 का अपहरण किया गया।

2- बैंक से आहरित राशि के व्यय प्रमाणक तैयार न कर कोषवही से खारित कर रू0 76225.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- खुरमोला, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी
वर्ष- 2003-04 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के अभिलेख तैयार न कर बैंक से आहरण धनराशि रू0 1520134.00 का अपहरण किया गया।

2- लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कर धनराशि रू0 348060.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- गवाणा, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी
वर्ष- 2001-02 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2001-02 से 2007-08 के व्यय प्रमाणक तैयार न कर बैंक से आहरण राशि रू0 869914.00 का अपहरण किया गया।

विविध अनियमिततायें-

1- जल उपभोक्ता समूह को बिना प्रमाणक धनराशि रू0 140000.00 का भुगतान अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- भेटियारा, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी
वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- रूप पत्र 36217 दिनाक 09-05-2008 द्वारा प्राप्त धनराशि रू0 100000.00 को कोषवही में दर्ज न कर अनियमित भुगतान किया गया।

2- पंचायत भवन गैस्ट हाउस में अर्नगल व्यय दर्शाकर पंचायत धनराशि रू0-101823.00 का भुगतान अनियमित रहा

विविध अनियमिततायें-

1- मस्ट्रलों मे श्रमिकों के प्राप्ति हस्ताक्षर प्रधान द्वारा किये गये जिससे दर्शित धनराशि रू0 135600.00 का भुगतान अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- कमद, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- मरघट निर्माण कार्य में अर्नगल व्यय कर ग्राम पंचायत धनराशि रू0 490435.00 का भुगतान अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- हिटाणू, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के अभिलेख तैयार न करके बैंक से आहरण धनराशि रू0 1500408.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- माजफ, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- ग्राम पंचायत के वर्ष 2006-07 व 2007-08 के अभिलेख तैयार न कर बैंक से आहरण धनराशि रू0 1258081.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- पिपली, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- ग्राम पंचायत के वर्ष 2006-07 व 2007-08 के अभिलेख तैयार न कर बैंक से आहरण धनराशि रू0 336261.00 का अपहरण किया गया।

2- व्यय प्रमाणक तैयार न कर फर्जी भुगतान करके धनराशि रू0 5000.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- मूषण गाँव, विकास खण्ड-डुण्डा, उत्तरकाशी

वर्ष- 2007-08 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2007-08 के अभिलेख तैयार न कर बैंक से आहरण धनराशि रू0 69108.00 का अपहरण किया गया।

2- व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ न कर धनराशि रू0 96996.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- भुयारा, विकास खण्ड-चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

वर्ष- 2005-06 से 2009-10

अपहरण-

1- आय पक्ष का योग कम लगाकर धनराशि रू0 18000.00 का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान-

1- माप पुस्तिका (MB) से अधिक भुगतान दर्शाकर पंचायत धन रू0 65179.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत- नौगांव, विकास खण्ड-नौगांव, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2006-07 में बैंक खाते से बिना स्वीकृति के आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 175996.00 का अपहरण किया गया।

2- वर्ष 2007-08 में बैंक खाते से बिना स्वीकृति के आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 1163866.00 का अपहरण किया गया।

3- छात्रवृत्ति खाते से बिना स्वीकृति एवं वितरण सूची के कोषवही से खारिज कर धनराशि रू0 76300.00 का अपहरण किया गया।

4- वर्ष 2008-09 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण तथा बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 243000.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- धली, विकास खण्ड-नौगांव, उत्तरकाशी
वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2006-07 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 223227.00 का अपहरण किया गया।

2- वर्ष 2007-08 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 212583.00 का अपहरण किया गया।

3- वर्ष 2008-09 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 142000.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- धारी मुलोगी, विकास खण्ड-नौगांव, उत्तरकाशी
वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2006-07 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 225663.00 का अपहरण किया गया।

2- वर्ष 2007-08 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 306175.00 का अपहरण किया गया।

3- बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 84509.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- मंकोली, विकास खण्ड-नौगांव, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2006-07 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 160443.00 का अपहरण किया गया।

2- वर्ष 2007-08 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 638500.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- भाटिया, विकास खण्ड-नौगांव, उत्तरकाशी

वर्ष- 2009-10

अपहरण-

1- मनरेगा खाते से राशि बिना स्वीकृति के आहरण कर एक ही तिथि के विभिन्न फर्जी बिलों के आधार पर सीमेन्ट क्रय कर धनराशि रू0 45600.00 का अपहरण किया गया।

गम्भीर अनियमितता-

1- राज्य वित्त मद की दर्शित धनराशि रू0 24000.00 का खाते बिना स्वीकृति के आहरण कर सीमेन्ट क्रय हेतु भुगतान अनियमित रहा।

2- मनरेगा खाते से दर्शित धनराशि रू0 63000.00 बिना स्वीकृति के आहरण कर विभिन्न प्रमाणकों के आधार पर सीमेन्ट क्रय का भुगतान अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- जान्दणु, विकास खण्ड-नौगांव, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- अश्वमार्ग प्रस्तावित किये बिना तथा बिल आगणक तैयार किये मनमाने तरीके से भुगतान कर धनराशि रू0 50000.00 का अपहरण किया गया।

2- बिना चयनित योजनाओं (अश्वमार्ग) एवं बिल आगणक एवं स्वीकृति के भुगतान कर रू0 108550.00 का अपहरण किया गया।

3- कार्य पूर्ण होने के पश्चात सामग्री क्रय कर धनराशि रू0 10200.00 का भुगतान करके अपहरण किया गया।

4- प्राप्ति रसीद पर प्राप्तकर्ता का नाम व हस्ताक्षर के बिना धनराशि रू0 5000.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया।

5- योजना में कार्य पूर्ण होने के पश्चात सामग्री क्रय कर धनराशि रू0 28025.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया।

गम्भीर अनियमितता-

1- भारत रोलिग शटर को बिना बिल व प्राप्ति के धनराशि रू0 6000.00 का भुगतान अनियमित रहा।

2- ग्रा0 सभा में योजना प्रस्तावित न कर एवं भुगतान स्वीकृति के बिना दर्शित धनराशि रू0 34995.00 भुगतान अनियमित रहा।

3- बिना स्वीकृति लिये मनरेगा के अन्तर्गत क्रय सामग्री का भुगतान (A/C Pagee) चैक सेन कर धनराशि रू0 101966.00 भुगतान अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत- कण्डाऊ, विकास खण्ड-नौगांव, उत्तरकाशी

वर्ष- 2006-07 से 2009-10

अपहरण-

1- वर्ष 2006-07 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 309500.00 का अपहरण किया गया।

2- वर्ष 2007-08 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 413376.00 का अपहरण किया गया।

3- वर्ष 2008-09 में बैंक खातों से बिना स्वीकृति के धनराशि आहरण एवं बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 24480.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत-सुनभी, विकास खण्ड-नारायणबगड, चमोली

वर्ष-2001-02 से 2008-09

अपहरण-

1- बैंक खातों से रू0 620445.00 धन आहरित कर कैश बुक में प्रविष्टि न कर तत्सम्बन्धी कैश बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत-नकरौन्धा, विकासखण्ड-डोईवाला, देहरादून

वर्ष- 2008-09 से 2009-10

अपहरण-

1- निर्मल ग्राम योजना के अन्र्तगत प्राप्त धनराशि को मानक मदों के विपरीत रू0 200059.00 को व्यय कर अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत-नथुवावाला, विकासखण्ड-डोईवाला, देहरादून

वर्ष- 2008-09 से 2009-10

अपहरण-

1- पूर्व में खातों से आहरित धनराशिर रू0 7500.00 का दो साल पश्चात रोकड शेष दर्शाते हुए व्यय दर्शाना।

2- स्वजल परियोजना के अन्र्तगत लाभार्थी को स्वच्छ शौचालय की राशि रू0 25200.00 का भुगतान बैंक से ने कर नकद करना दर्शाकर अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत-रानीपोखरी ग्रांट, विकासखण्ड-डोईवाला, देहरादून

वर्ष-2003-04 से 2009-10

दुरूपयोग -

1- छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 23000.00 का अन्य कार्य में व्यय करके धन का दुरूपयोग किया गया है।

परिशिष्ट 'क'

(भाग-(आख्या प्रस्तर 2.1 में सन्दर्भित)

क्र0 सं0	संस्था की श्रेणी	संस्थाओं की संख्या
1	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी, नैनीताल	01
2	उत्तरांचल कोआपरेटिव फैडरेशन लि0 प्रेमनगर, देहरादून	01
3	उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, देहरादून	01
4	जिला सहकारी बैंक लि0	10
5	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	08
6	जिला सहकारी विकास संघ लि0	10
7	जिला भेषज विकास संघ लि0	12
8	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	06
9	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	31
10	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
11	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
12	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	753
13	कृषि सहकारी समितियां	04
14	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
15	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	339
16	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
17	सहकारी दुग्ध समितियां	1269
18	सहकारी चीनी मिले	04
19	सहकारी गन्ना समितियां	13
20	सहकारी आवास संघ/समितियां	54
21	बुनकर/खादी/रेशम/उघोग सहकारी समितियां	162
22	सहकारी मत्स्य समितियां	8
23	जिला पंचायतें	13
24	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	20
25	क्षेत्र पंचायत	95
26	पंचायत उघोग	34
27	ग्राम पंचायतें	7358
	योग-	**10285**

परिशिष्ट 'ख'

(आख्या प्रस्तर 2.2 में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एवं उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियमः-

1-जिला सहकारी बैंकः-

(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949
(2) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003 एवं नियमावली, 2004
(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबर्ड/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/ आदेश/शासनादेश
(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली
(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1934
(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972
(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965
(8) निगोशियेवल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881

2- सहकारी संस्थायेंः-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003/नियमावली, 2004
(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) आयकर अधिनियम, 1987/नियमावली
(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3- दुग्ध/उद्योग संस्थायेंः-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003/नियमावली, 2004
(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य कर अधिनियम
(5) बिक्रीकर अधिनियम, 1948/नियमावली
(6) सैन्ट्रल लेवर एक्ट, 1970
(7) कारखाना अधिनियम, 1948

(8) वर्क्समैन कम्पन्सेशन एक्ट, 1923

(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965

4- गन्ना समितियां:-

(1) उ0 प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद अधिनियम

(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003 एवं नियमावली, 2004

5- मत्स्य समितियां:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003 एवं नियमावली, 2004

(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6- पंचायत संस्थायें:-

(1) उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947/नियमावली/उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश, 2005

(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली

(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां:-

1-	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पांच व छः	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
2-	बजट मैनूअल	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
3-	समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेश	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
4-	मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
5-	उपविधियां/सेवा नियमावलियां	सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू
6-	उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 एवं आडिट मैनुअल 2012	सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू जिस के अनुसार भविष्य में लेखा परीक्षा की जानी है

परिशिष्ट 'ग'

(आख्या प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)

आडिट 5471/दस-300(8)/74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 17, 1977

विषयः- **सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारी का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0-1953/दस-3000(8) /53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0-300/दस-3000(8)/53 दिनांक 16-4-70 का आशिंक संशोंधन करते हुए राज्यपाल महोदय, सरकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:-

(1)- शीर्षस्थ समितियां जेसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एवं मिल्क बोर्ड कानपुर, मिल्क यूनियन लखनऊ, चीनी मिल, सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें, जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड रूपये से अधिक है, लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)- प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा:-

क्र0 सं0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारणा का आधार	दर
क-	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष की 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये

ख-	उत्पादन संग्रह, क्रय विक्रय एवं उघोग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ग-	समितियां जिनका प्रभाव उददेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3)- विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

क्र0 सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओं की गणना प्रक्रिया
1-	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक		
क	50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	10,000-00	
ख	50 लाख रू0 से अधिक एक करोड रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	20,000-00	
ग	एक करोड रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	50,000-00	
2-	नगर बैंग/प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000-00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशली पूंजी के लिए रू0 200-00
3-	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2(क) में उल्लिखित उन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:-		
क	एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	500-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर के लिए रू0 500-00
ख	एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	1,000-00	
ग	दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	2,000-00	
घ	चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	3,000-00	
4-	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000-00	
5-	जिला सहकारी संघ	10,000-00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000-00
6-	सहकारी दुग्ध संघ	5,000-00	
7-	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 150-00
8-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	2,000-00	

9-	नया बाजार	3,000-00	
10-	उघोग समितियां	2,500-00	प्रत्येक रू0 25,000-00 की बिक्री के लिए रू0 50-00
11-	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नहीं निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नहीं है।	2,000-00	प्रत्येक 5लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000-00 रू0
12-	गन्ना संघ एवं समितियां	20,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500-00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100-00 रू0) से अथवा रू0 500-00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

(2)- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय

(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)

उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस-300 (8)/74

परिशिष्ट- 'घ'

(प्रस्तर 6 में सन्दर्भित)

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची-

क्र0 सं0	जिले का नाम जहां जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1-	उत्तरकाशी
2-	चमोली (गोपेश्वर)
3-	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4-	देहरादून
5-	पौडी गढवाल
6-	हरिद्वार
7-	रूद्रप्रयाग
8-	अल्मोडा
9-	पिथौरागढ
10-	नैनीताल
11-	उधमसिंह नगर (रूद्रपुर)
12-	बागेश्वर
13-	चम्पावत

परिशिष्ट- ''घ-1'' (प्रस्तर 6 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय:-

1-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी, नैनीताल।	01
2-	उत्तराखण्ड रेशम कोआपरेटित फैडरेशन लि० प्रेमनगर, देहरादून।	01
3-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि०, देहरादून।	01
4-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० बाजपुर, उधमसिंह नगर।	01
5-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० गदरपुर, उधमसिंह नगर।	01
6-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नादेही, उधमसिंह नगर।	01
7-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सितारंगज, उधमसिंह नगर।	01
8-	जिला सहकारी बैंक लि० नैनीताल, हल्द्वानी।	01
	योग	08

जिला सहकारी बैंक लि0

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग/ राजस्व हानि	विविध/गम्भीर अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरकाशी	2009-10	0	54.33	1.15	0	33.77	89.25
2	जिला सहकारी बैंक उत्तरकाशी	2010-11	0	0	0	0	7.51	7.51
3	जिला सहकारी बैंक देहरादून	2010-11	0	108.65	0	4.25	1.04	113.94
4	जिला सहकारी बैंक चमोली	2010-11	0	19.31	0	0	86.15	105.46
5	जिला सहकारी बैंक उधमसिंहनगर	2010-11	0	5.04	0	0	8.31	13.35
6	जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ	2010-11	0	0	0	0	22.97	22.97
7	जिला सहकारी बैंक अल्मोडा	2010-11	0	0	0	1.77	63.04	64.81
	योग:-	-	0	187.33	1.15	6.02	222.79	417.29

जिला भेषज सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभाक्ता भण्डार

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	उत्तरकाशी जिला केन्द्रीय उप0 भण्डार	2006-07 से 09-10	0	0	0.17	0	129.98	130.15
2	जिला भेषज सहकारी संघ उत्तरकाशी	2009-10	0	1.51	0	7.65	0.03	9.19
	योग		0	1.51	0.17	7.65.	130.01	139.34

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 देहरादून	07-08 से 08-09	9.46	8.26	8.23	501.70	22.33	549.98
2	दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 चम्पावत	2010-11	0	0	0	0	3.49	3.49
-	योग	-	9.46	8.26	8.23	501.70	25.82	553.47

सहकारी उद्योग समितियां

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	गृह उद्योग (लीसा) उत्पादन सहकारी समिति लि0 कोटद्वार, पौड़ी गढवाल	2009-10	14.84	0	0	0	0	14.84
	योग		14.84	0	0	0	0	14.84

सहकारी चीनी मिल एवं गन्ना सहकारी समितियां

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	सितारंगज चीनी सह0 मिल लि0	2005-06 से 09-10	0	24.43	0	0.79	0.24	25.46
2	बाजपुर गन्ना सह0समि0लि0	07-08	2.30	0	0	0	0	2.30
	योग	-	2.30	24.43	0	0.79	0.24	27.76

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	गडोली दी0 बहु0 सहकारी समिति लि0 उत्तरकाशी	2009-10	0.97	0	0	0	0	0.97
2	लोहाथल साधन सहकारी समिति लि0 पिथौरागढ	2004-05 से 2010-11	0.06	0	0	0	0	0.06
3	गढतिर साधन सहकारी समिति लि0 पिथौरागढ	2004-05 से 2010-11	0.06	0	0	0	0	0.06
4	बेरीनाग साधन सहकारी समिति लि0 पिथौरागढ	2004-05 से 2010-11	0.13	0	0	0	0	0.13
5	केलाखेडा किसान सेवा सहकारी समिति लि0 उधमसिंह नगर	2009-10	2.28	0	0	0	5.56	7.84
6	जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 उधमसिंह नगर	2010-11	0	0	0	0	1.12	1.12
	योग	-	3.50	0	0	0	6.68	10.18

ग्राम पंचायतें:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	ग्राम पंचायत- न्युगांव, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0	5.41	0	0	0	5.41
2	ग्राम पंचायत- ढुंगी, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2004-05 से 09-10	0	0	0	4.30	0.	4.30
3	ग्राम पंचायत- पटुरी, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2004-05 से 2009-10	0	0	0	6.10	0	6.10
4	ग्राम पंचायत- बडेथ, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	0	3.95	0	0	0	3.95
5	ग्राम पंचायत- धणेटी, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0	3.84	0	0	0	3.84
6	ग्राम पंचायत-मोलना, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0.41	1.00	0	0	0	1.41
7	ग्राम पंचायत- नैपड वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0	3.57	0	0	0	3.57
8	ग्राम पंचायत- सिंगोट वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0.	3.27	0	0	0	3.27
9	ग्राम पंचायत- बरसाली वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	14.84	0	0	0	0	14.84

10	ग्राम पंचायत- थाती, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	4.47	0	0	0	0	4.47
11	ग्राम पंचायत- चिणाखोली वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	2.86	0.51	0	0	0	3.37
12	ग्राम पंचायत- वाण वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	1.41	0	0	0	0	1.41
13	ग्राम पंचायत- ग्योणोटी, वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	1.89	0	0	0	0	1.89
14	ग्राम पंचायत- ईड वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	1.45	0	0	0	0	1.45
15	ग्राम पंचायत- कोट माटगॉव वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0	0	0	0.07	0	0.07
16	ग्राम पंचायत- मजगांव वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	2.90	0	0	0	0	2.90
17	ग्राम पंचायत- खुरमोला वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2003-04 से 2009-10	18.68	0	0	0	0	18.68
18	ग्राम पंचायत- गवाणा वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2001-02 से 2009-10	8.70	0	0	0	1.40	10.10
19	ग्राम पंचायत- भेटियारा वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0	2.02	0	0	1.36	3.38
20	ग्राम पंचायत- कमद वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	0	4.90	0	0	0	4.90
21	ग्राम पंचायत- हिटाणू वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	15.00	0	0	0	0	15.00

22	ग्राम पंचायत- मांजफ वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	12.58	0	0	0	0	12.58
23	ग्राम पंचायत- पिपली वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	3.41	0	0	0	0	3.41
24	ग्राम पंचायत- भूषणगांव वि0क्षे0 डुण्डा जनपद- उत्तरकाशी	2007-08 से 2009-10	1.66	0	0	0	0	1.66
25	ग्राम पंचायत- भुयारा, वि0क्षे0 चिन्यालीसौड जनपद- उत्तरकाशी	2005-06 से 2009-10	0.18	0.65	0	0	0	0.83
26	ग्राम पंचायत- नौगांव वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	16.59	0	0	0	0	16.59
27	ग्राम पंचायत- धली वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	5.78	0	0	0	0	5.78
28	ग्राम पंचायत- धारीमुलोगी वि0क्षे0 नौगांव ,जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	6.16	0	0	0	0	6.16
29	ग्राम पंचायत- मंकोली वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	7.99	0	0	0	0	7.99
30	ग्राम पंचायत- भाटिया वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2009-10	0.46	0	0	0	0.87	1.33
31	ग्राम पंचायत- जान्दणु वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	2.02	0	0	0	1.43	3.45
32	ग्राम पंचायत- कण्डाऊ वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2009-10	7.47	0	0	0	0	7.47
33	ग्राम पंचायत-सुनभी वि0क्षे0 नारायणबगण जनपद- चमोली	2001-02 से 2008-09	6.20	0	0	0	0	6.20

34	ग्राम पंचायत-नकरौन्धा वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून	2008-09 से 2009-10	2.00	0	0	0	0	2.00
	ग्राम पंचायत-नथुवावाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून	2008-09 से 2009-10	0.33	0	0	0	0	0.33
	ग्राम पंचायत- रानीपोखरी ग्रांट वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून	2003-04 से 2009-10	0	0	0	0.23	0	0.23
		योग	**145.44**	**29.12**	**0**	**10.70**	**5.06**	**190.32**

संकलन:-

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं सम्बंधी संकलित कुल धनराशि वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी बैंक लि0	0	187.33	1.15	6.02	222.79	417.29
2	सहकारी चीनी मिल एवं गन्ना सहकारी समितियां	2.30	24.43	0	0.79	0.24	27.76
3	जिला सह0 भेषज संघ एवं केन्द्रीय उप0 भण्डार	0	1.51	0.17	7.65.	130.01	139.34
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ / समितियां	9.46	8.26	8.23	501.70	25.82	553.47
5	किसान सेवा सहकारी / दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	3.50	0	0	0	6.68	10.18
6	सहकारी उद्योग समितियां	14.84	0	0	0	0	14.84
7	ग्राम पंचायतें	145.44	29.12	0	10.70	5.06	190.32
योग		175.54	250.65	9.55	526.86	390.60	1353.20

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 स्था0नि0ले0/484–12–3–2013–250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।